मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (प्रथम वर्ष)

(सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता सहित)

Bachelor of Social Work (First Year)

(With Specialization in Community Leadership)

मॉड्यूल–7 (2)

प्रायोगिक कार्य निर्देशिका

(Practical Work Manual)

अनुसूचित जाति, जनजाति और उपेक्षित तबकों के अधिकार–कानून और योजनाएँ

प्रायोजक

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश

आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद

संचालन

दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय

चित्रकूट, सतना (म.प्र.) – 485334

स्व–निर्देशित अध्ययन सामग्री
Self -Instructional Learning Material

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

मॉड्यूल-7 (2)

प्रायोगिक कार्य निर्देशिका

Practical Manual

अनुसूचित जाति, जनजाति और उपेक्षित तबकों के अधिकार - कानून और योजनाएँ

समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (प्रथम वर्ष)

नेतृत्व विकास में विशेषज्ञता सहित

Bachelor of Social Work (First Year)

With Specialization in Community Leadership

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

जिला-सतना (मध्यप्रदेश) - 485334

प्रायोगिक कार्य निर्देशिका (Practical Work Manual)

अवधारणा एवं रूपरेखा :– **संस्करण 2017**

बी.आर. नायडू , आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

जे.एन. कंसोटिया, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

अशोक शाह, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

प्रेरणा :–

प्रो. नरेश चन्द्र गौतम, कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

परामर्श :

डॉ. टी. करुणाकरन, पूर्व कुलपति

जयश्री कियावत, आई.ए.एस., आयुक्त, महिला सशक्तिकरण

उमेश शर्मा, कार्यपालन निदेशक, मध्यप्रदेश जन–अभियान परिषद

संकलन एवं लेखन:–

सचिन कुमार जैन, विकास संवाद, भोपाल

राकेश कुमार मालवीय, विकास संवाद, भोपाल

संपादन

डॉ. अमरजीत सिंह

डॉ. वीरेन्द्र कुमार व्यास

सहयोग

विकास संवाद, मध्यप्रदेश, स्पंदन)खंडवा(और यूनीसेफ

मुद्रक एवं प्रकाशक:–

ग्रामोदय प्रकाशन के लिए कुलसचिव

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

जिला–सतना (मध्यप्रदेश) – 485334, दूरभाष– 07670–265411

सम्पर्क :

डॉ. अमरजीत सिंह, निदेशक एवं लिंक अधिकारी

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)

ई–मेल– cmcldpcourse@gmail.com, मोबाइल– 9424356841

श्री आर. के. मिश्रा, राज्य सलाहकार (यूनिसेफ) सी.एम.सी.एल.डी.पी.

ई–मेल– rkmishraguna@gmail.com, मोबाइल– 9425171972

डॉ. प्रवीण शर्मा, टॉस्क मैनेजर म.प्र. जन अभियान परिषद्

ई–मेल tmprajapbho@mp.gov.in मोबाइल– 9425301058

आभार:– इस पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री अनेक स्रोतों, व्यक्तियों के अनुभव और संस्थाओं के प्रकाशनों एवं वेब साइट्स पर उपलब्ध सामग्री के सहयोग से तैयार की गई है। पाठ्यक्रम के परामर्शदाताओं का अनुभव और सुझाव भी इसमें शामिल है। सभी के प्रति आभार।

पुस्तिका की सामग्री

(अनुसूचित जाति, जनजाति और उपेक्षित तबकों के अधिकार– कानून और योजनाएं)

सामाजिक सुरक्षा का अधिकार

(सामाजिक सुरक्षा पेंशन और आर्थिक सहायता योजनाएं)

पूरे विश्व से हर तरह की गरीबी को खत्म करना, चाहे वह किसी भी रूप में हो।

अक्सर समाज के आदर्श स्वरूप की चर्चा करते समय यह बात सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है कि कहीं कोई पीछे तो नहीं छूट गया, कहीं कोई किसी भी कारण से वंचितपन, उपेक्षा और बहिष्कार का सामना करने के लिए मजबूर तो नहीं है ! चलिए, खुद से कुछ सवाल पूछते हैं और खुद ही जवाब देते हैं –

1. आपने समाज के ताने–बाने को देखा, समझा तो है ही, अब उसके बारे में पढ़ा भी है। जरा सोचिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और सामान्य वर्ग के तबकों में ज्यादा वंचित (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से) कौन है ?
2. जिन्हें आप वंचित मानते हैं, उनके परिवार में पुरुष भी हैं और महिलाएं भी। इनमें से उन वंचित तबके के इस परिवार में भी ज्यादा वंचित कौन है ?
3. उस वंचित और गरीब परिवार में केवल विधवा महिला है, तो उसकी स्थिति क्या होगी ?
4. इस परिवार के सदस्यों में एक सदस्य विकलांग है, तो क्या उसकी स्थिति समानता की होगी ?
5. यदि वह सदस्य, जो विकलांग है, एक लड़की है, तो क्या उसकी स्थिति केवल एक पुरुष विकलांग व्यक्ति के ही समान होगी ?

अब आप विचार कीजिए कि वंचितपन के कितने पैमाने हो सकते हैं ? अपने गांव, बस्ती, समुदाय में कौन से वर्ग वंचित हैं ? उन वर्गों में कौन से परिवार वंचित हैं ? और उन परिवारों में कौन से सदस्य वंचित या बहिष्कृत हैं ? यह भी सोचिए कि हम उन्हें वंचित क्यों मान रहे हैं ?

यह एक व्यापक और गहरा सवाल है कि समुदाय, परिवार और व्यक्ति आखिरकार वंचित क्यों होते हैं और उन्हें सामाजिक–आर्थिक बहिष्कार का सामना क्यों करना पड़ता है ! इनमें से कई लोग,परिवार, तबके तो हर रोज हमारे सामने होते हैं। हम उन्हें रोज देखते हैं। समाज के ऐसे ही कुछ तबकों, लोगों को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देने के मकसद से सरकारें सामाजिक सुरक्षा और सहायता कार्यक्रम चलाती हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम अपनी पहल से अपने कार्यक्षेत्र में सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा का हक दिलाएं। इन योजनाओं में कुछ आर्थिक सहायता मिलती है, यह आर्थिक सहायता केवल एक धनराशि नहीं है, यह सामाजिक न्याय का प्रतीक है। यदि वंचित लोगों और तबकों को सामाजिक सुरक्षा का हक नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में मुख्य रूप से इनकी बात होती है –

1. बुजुर्ग

2. विधवा और परित्यक्त महिलाएं
3. विकलांगता (निःशक्त) से प्रभावित लोग
4. आर्थिक गरीबी में रह रहे परिवार की समस्या

इन तबकों/समूहों के लिए कुछ योजनाएं संचालित हो रही हैं –

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
4. समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
5. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग राष्ट्रीय सामाजिक सहायत्ता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित करता है। मध्यप्रदेश में इस योजना को क्रियान्वित करने का काम सामाजिक न्याय और निःशक्तजन विभाग द्वारा किया जाता है।

किनके लिए ?

कोई भी महिला या पुरुष, जिनकी उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है और वे गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की सूची में शामिल हैं।

लाभ क्या हैं ?

1. 60 साल से 64 साल तक की उम्र के हितग्राहियों को प्रतिमाह रुपए 200 की दर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है।
2. 65 साल से 79 साल तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह रुपए 275 की दर से पेंशन दी जाती है, इसमें 200 रुपए भारत सरकार और 75 रुपए का योगदान मध्यप्रदेश सरकार देती है।
3. 80 साल अथवा इससे अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह 500रुपए (भारत सरकार का योगदान) की दर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है।

पेंशन पाने की प्रक्रिया

निर्धारित प्रारूप में (प्रारूप पंचायत के दफ्तर से मिल जाएगा) आवेदन अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में – ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका/नगर पंचायत के

कार्यालय में तीन फोटो, आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र तथा बीपीएल कार्ड के साथ जमा कराना होता है।

भुगतान कैसे ?

हितग्राहियों द्वारा बैंक/पोस्ट आफिस में खोले गए खातों के माध्यम से भुगतान किया जाता है। असहाय हितग्राहियों को मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन के भुगतान का प्रावधान है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली विधवा महिला को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तज़न कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

किनके लिए ?

वे विधवा महिलाएं, जिनकी उम्र 40 साल से 79 साल होगी,

और जिनका परिवार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं।

लाभ क्या हैं ?

विधवा महिला हितग्राही को प्रतिमाह 300 रूपए की दर से पेंशन दी जाती है।

पेंशन पाने की प्रक्रिया

निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगमध्नगर पालिका/नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करना होगा –

1. स्वयं के तीन फोटो
2. बी.पी.एल. कार्ड
3. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
4. पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
5. विधवा, परित्यक्तता का प्रमाण पत्र

भुगतान कैसे ?

हितग्राहियों द्वारा बैंक/पोस्ट आफिस में खोले गए खातों के माध्यम से भुगतान किया जाता है। असहाय हितग्राहियों को मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन के भुगतान का प्रावधान है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले निःशक्तजनों (विकलांगता से प्रभावित) को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना संचालित की जा रही है। मध्यप्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

किनके लिए ?

1. जिनकी उम्र 18 साल से 79 साल की है,
2. व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से है,
3. और व्यक्ति, जो आवेदन कर रहा है, की निशक्तता 80 प्रतिशत है, गंभीर और बहु विकलांगता की स्थिति है।

लाभ क्या हैं ?

निःशक्त पेंशन के हक धारक को हर महीने 300 रुपए की दर से पेंशन दी जाती है।

पेंशन पाने की प्रक्रिया

निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका/नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करना होगा

1. स्वयं के तीन फोटो
2. बी.पी.एल. कार्ड
3. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
4. निशक्तता का प्रमाण पत्र
5. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र

भुगतान कैसे ?

हितग्राहियों द्वारा बैंक/पोस्ट आफिस में खोले गए खातों के माध्यम से भुगतान किया जाता है। असहाय हितग्राहियों को मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन के भुगतान का प्रावधान है।

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

निराश्रित वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, निःशक्त और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वीकृत की जाती है।

किनके लिए ?

1. 18 साल से अधिक आयु की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए
2. 60 साल या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध हो
3. 18 साल से अधिक किन्तु 39 साल आयु तक की विधवा महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो।
4. 18 से अधिक किन्तु 59 साल तक आयु की परित्यक्त महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो। (सरपंच एवं सचिव, वार्ड पार्षद एवं सहायक राजस्व निरीक्षक वार्ड प्रभारी) के संयुक्त प्रमाणपत्र या न्यायालयीन आदेश के आधार पर परित्यक्त माना जाएगा।)
5. 6 साल से अधिक तथा 18 साल से कम आयु के निःशक्त व्यक्ति, जिसकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हो।

लाभ क्या हैं ?

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के समस्त विधवा, परित्यक्ता एवं निःशक्त हितग्राही को प्रतिमाह 150 के मान से पेंशन दी जाती है।

पेंशन पाने की प्रक्रिया

निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका/नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करना होगा

1. स्वयं की दो फोटो
2. बी.पी.एल. कार्ड अथवा निराश्रित/निर्धन का प्रमाण पत्र
3. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
4. निशक्तता का प्रमाण पत्र
5. विधवा, परित्यक्तता का प्रमाण पत्र

भुगतान कैसे ?

हितग्राहियों द्वारा बैंक, पोस्ट आफिस में खोले गए खातों के माध्यम से भुगतान किया जाता है। असहाय हितग्राहियों को मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन के भुगतान का प्रावधान है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य की मृत्यु (जो परिवार का मुख्य कमाऊ व्यक्ति रहा हो और जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने से परिवार के सामने आर्थिक समस्याएं आ जाती हैं), पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है। मध्यप्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

किनके लिए ?

1. मृतक की उम्र 18 साल से अधिक किन्तु 59 साल से कम हो,
2. मृतक, परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो,
3. मृतक, गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार का सदस्य रहा हो,

लाभ क्या हैं ?

राशि 20,000 रूपए की आर्थिक सहायता एकमुश्त प्रदान की जाती है।

पेंशन पाने की प्रक्रिया

निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करना होगा

1. आयु प्रमाण पत्र
2. मृत्यु प्रमाण पत्र
3. बी.पी.एल. कार्ड
4. दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले मे पुलिस मे दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट

प्रायोगिक / मैदानी कार्य

प्रायोगिक / मैदानी कार्य के लिए कुछ बिन्दु	क्या कार्यवाही करें ?
समुदाय के साथ मिल कर एक प्रक्रिया चलाएं और सब मिल कर यह जानने की कोशिश करें कि हमारे गांव / बस्ती / समुदाय में सबसे वंचित लोग / परिवार कौन से हैं ? और क्यों हैं ?	हमें यह बात सामने लाने की कोशिश करना चाहिए कि कोई भी किसी भी तरह के वंचितपन का सामना कर रहा हो, उन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपनी यानी समुदाय की नहीं होना चाहिए क्या ? यदि हाँ, तब हम किस रूप में उनकी सुरक्षा करेंगे या कर सकते हैं ?
जब लोग वंचित होते हैं, तब मुख्य रूप से वे किस तरह के अभावों, समस्याओं और दिक्कतों का सामना करते हैं? खाना, रोजगार, सम्मान, इलाज, पानी, सहभागिता आदि।	
यह जानना जरूरी है कि गांव / बस्ती / समुदाय में कितने लोग विकलांगता / निःशक्तता से प्रभावित हैं?	यह देखना कि क्या वे पेंशन योजना के हकों को पाने के पात्र हैं? क्या उन्हें पेंशन मिल रही है? यदि नहीं तो उन्हें पेंशन दिलवाएं।
यह जानना जरूरी है कि गांव / बस्ती / समुदाय में कितनी महिलायें विधवा और परित्यक्ता हैं?	यह देखना कि क्या वे पेंशन योजना के हकों को पाने के पात्र हैं? क्या उन्हें पेंशन मिल रही है? यदि नहीं तो उन्हें पेंशन दिलवाएं।
यह जानना जरूरी है कि गांव / बस्ती / समुदाय में कितने बुजुर्ग हैं, वे किन स्थितियों में हैं और उनके बारे में समुदाय में चर्चा करना।	यह देखना कि क्या वे पेंशन योजना के हकों को पाने के पात्र हैं ? क्या उन्हें पेंशन मिल रही है? यदि नहीं तो उन्हें पेंशन दिलवाएं।
इन पेंशन योजनाओं में उम्र के प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, गरीबी की रेखा में नाम शामिल होना, कहीं–कहीं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि की जरूरत होती है।	यह संभव है कि कई वंचित लोग, महिलाएं इन दस्तावेजों के अभाव में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का हक हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करें कि सभी लोगों को उनकी स्थिति के मुताबिक जरूरी प्रमाण पत्र और दस्तावेज मिल ही जाएं।

क्या इन लोगों (बुजुर्गों, निःशक्त लोगों, महिलाओं आदि) के हकों के बारे में समुदाय चिंतित है?	ग्राम सभा में इन लोगों की स्थिति का अध्ययन करके चर्चा करें और सुनिश्चित करें कि समुदाय इनके हकों के प्रति लामबंद हो।
ग्राम पंचायत सामाजिक सुरक्षा के मामले में जवाबदेय है।	सुनिश्चित करें कि सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी सार्वजनिक की जाए।
जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है या योजना में जिनके नाम दर्ज हैं, क्या उन्हें हर महीने नियमित रूप से पूरी पेंशन मिल रही है ?	हितग्राही बैंक/पोस्ट ऑफिस/मनीआर्डर के जरिये पेंशन पा रहे हैं या नहीं? यदि नहीं पा रहे हैं, तो लोगों के पक्ष में वकालत करे।

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून और योजना

पृष्ठभूमि

वर्ष 2006 में संसद ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले सभी परिवारों को रोजगार का कानूनी अधिकार दिया। इस कानून का नाम है – महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा)। इसमें लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति या परिवार काम की मांग करेगा, उन्हें मांग करने के 15 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से रोजगार दिया जाएगा। इस कानून को लागू करने के लिए ही मनरेगा बनी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें गरीबी की रेखा, किसी खास सामाजिक वर्ग का होने सही कोई शर्त लागू नहीं है।

मनरेगा देश की ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के अभाव और संसाधनों की उत्पादकता में सीमितता के कारण पनपने वाली गरीबी और भुखमरी से सुरक्षा देने में अहम भूमिका निभाता है। शर्त एक है, कानून का उसकी मंशा के मुताबिक ईमानदार क्रियान्वयन होना।

योजना के लाभ –

1. गांव से शहरों की और बदहाली के कारण होने वाले पलायन में कमी आएगी। अगर गांवों में काम उपलब्ध हो और सही समय पर उचित मजदूरी मिले तो कई परिवार शहर आने के बजाए, अपने गांव में ही रुकना चाहेंगे।

2. रोजगार का आश्वासन महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाता है। अनुभव यह है कि इस कानून के तहत काम मिलने से श्रम में महिलाओं की पहचान और मौजूदगी बढ़ी है।

3. इससे गांव में सड़क, खेतों–जंगल का सुधार, पानी–पर्यावरण का संरक्षण, बच्चों के लिए खेल के मैदानों का विकास जैसी परिसम्पत्तियां निर्मित हो सकती हैं।

4. इससे ग्रामीण समाज में सत्ता समीकरणों और प्रशासनिक ताने–बाने के कामकाजी तौर तरीकों में बदलाव आएगा।

5. पारदर्शिता बढ़ेगी।

6. श्रमिकों की स्थिति में बदलाव आएगा। एक समय ऐसा रहा है, जब श्रमिकों को बेहद कम मजदूरी दी जाती थी, पर मनरेगा ने न्यूनतम मजदूरी के मानक स्थापित करके, बड़ा बदलाव लाने में मदद की है।

यह रोजगार की कोई सामान्य योजना नहीं है, यह एक कानून है। इसका मतलब है कि काम मिलना ही है और काम देना ही है।

कुछ मायनों में यह एक बदलाव लाने वाला कानून है। जब इसकी व्यवस्था बनी तो इसमें दो नजरिए उभर कर आए –

अ. **पहला नजरिया** – ग्रामीण परिवार को काम की गारंटी मिली। गारंटी का मतलब है कि मांग करने पर काम दिया जाना। यदि निर्धारित समय में काम न दिया जाए, तो उन परिवारों (जिन्होंने काम की मांग की है) बेरोजगारी का भत्ता दिया जाना। अगली बात है काम दे दिए जाने के बाद यदि 7 से 15 दिन में मजदूरी का भुगतान नहीं होता है तो इस देरी से भुगतान के लिए भत्ता दिया जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें लोगों के हक के साथ–साथ सरकार की ठोस जिम्मेदारी भी तय की गई है।

आ. **दूसरा नजरिया** – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के क्रियान्वयन के लिए जो ढांचा और व्यवस्थाएं बनीं, उसमें समाज को महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिका मिली। कानून कहता है कि मनरेगा के तहत जो काम होंगे, उनके बारे में निर्णय ग्रामसभा और पंचायतें करेंगी, यानी विकास की योजना लोग खुद बना सकेंगे। मनरेगा के तहत होने वाले कामों की निगरानी लोग खुद करेंगे। हर छह महीने में सामाजिक अंकेक्षण होगा, जहाँ खर्चे, काम की गुणवत्ता, लोगों को मिले रोजगार–भत्ते पर खुली चर्चा होगी। इसमें सहभागिता, जवाबदेहिता और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

कानून/योजना के मुख्य हिस्से

1. भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हर परिवार को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार पाने का अधिकार है।

2. यह एक मांग आधारित कानून है, यानी जब व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप में काम मांगेगा, तो उसे उसकी मांग के एवज में पावती दी जाएगी। ऐसे में यदि उसे काम नहीं मिलता है, तो वह पावती एक प्रमाण का काम करेगी, ताकि उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिल सके। मजदूरी में देरी से भुगतान के लिए भी यह बहुत जरूरी है।

3. इसमें जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति या परिवार काम के लिए अलग–अलग आवेदन दे, गांव के लोग मिलकर भी एक संयुक्त आवेदन दे सकते हैं।

4. जब दस लोग एक साथ काम मांगेंगे तब उनके लिए एक नया काम खोला जा सकेगा। यदि दस से कम लोग काम मानते हैं, तब उन्हें पंचायत वहां काम पर लगाएगी, जहां काम चल रहा है। वह जगह गाँव से दूर भी हो सकती है।

5. इस कानून के हिसाब से पंचायत कर परिवार का पंजीयन करेगी। जिन परिवारों का पंजीयन होगा, उन्हें एक रोजगार कार्ड (जॉब कार्ड) दिया जाएगा। जिसमें उस परिवार के द्वारा किए गए कामों और मजदूरी के भुगतान का विवरण दर्ज होगा।

6. हमें जब भी काम चाहिए, उसके लिए पंचायत को लिखकर या बोलकर आवेदन देना होगा। आवेदन किसी भी रूप में दिया जाए, उसकी पावती जरूर दी जाना चाहिए।

7. आवेदन देने के 15 दिनों के भीतर अगर सरकार या पंचायत काम नहीं दे पाती है, तो उन परिवारों को बेरोजगारी भत्ता पाने का कानूनी हक है।

8. इस कानून में मुख्यतः शारीरिक श्रम आधारित रोजगार दिए जाने का प्रावधान है। इसके तहत राज्य के लिए तय की गई न्यूनतम मजदूरी की राशि के हिसाब से भुगतान होगा।

9. इसमें महिलाओं और पुरुषों को बराबर मजदूरी मिलेगी। इसमें कोई भेदभाव न होगा।

10. मजदूरी का भुगतान बैंक या पोस्ट ऑफिस के जरिए होगा।

11. यह कानून कहता है कि काम करने के एक सप्ताह के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो मजदूरी मुआवजा अधिनियम के तहत देरी से भुगतान का मुआवजा दिया जाएगा।

12. वैसे तो काम गांव में ही या पांच किलोमीटर के दायरे में दिया जाएगा। यदि कार्य स्थल की दूरी गांव से 5 किलोमीटर दूर है तो मजदूरी की 10 प्रतिशत राशि के बराबर यातायात खर्च भी दिया जाएगा।

13. यदि मनरेगा के तहत चल रहे काम में कोई दुर्घटना हो जाए तो घायल होने या मृत्यु होने पर मुआवजा दिए जाएगा।

14. इस योजना के तहत मिट्टी, पानी, जंगल, खेत या किसी भी तरह के निर्माण कार्य को करने का निर्णय लेने का अधिकार ग्राम सभा को है। यानी योजना ग्राम सभा बनाएगी।

15. जहां भी काम चलेगा, वहां मजदूरों के लिए पीने का साफ पानी, प्राथमिक दवाओं का डिब्बा और छांव की व्यवस्था होगी।

16. वहां बच्चों के लिए झूलाघर बनाया जाएगा। यदि काम की जगह पर 6 साल से कम उम्र के पांच या इससे ज्यादा बच्चे हैं, तो वहां उन बच्चों की देखभाल के लिए एक महिला को भूमिका दी जाएगा। उन्हें न्यूनतम मजदूरी के बराबर की राशि दी जाएगी।

17. इसमें वृद्धों और विकलांगों को उनकी क्षमता के मुताबिक रोजगार दिया जाएगा।

18. ग्रामसभा इस योजना के अंतर्गत हर काम की जांच–पड़ताल (सोशल आडिट) करेगी। या सोशल आडिट हर 6 महीने में होगा।

19. इसके तहत छोटे किसानों के खेतों की मेड बंधान, कुएं खोदने, वृक्षारोपण, तालाब निर्माण के काम प्रमुखता से किए जाने की व्यवस्था है।

प्रायोगिक कार्य में क्या करना है ?

जब आप महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन पर प्रायोगिक कार्य करेंगे, तो हमें सबसे पहले उस नजरिए को दोहराना होगा कि इस योजना का मकसद रोजगार का अधिकार देना, जिम्मेदारी और जवाबदेहिता सुनिश्चित करना और समाज के लिए उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है।

अपने कार्यक्षेत्र में सबसे पहले मनरेगा के क्रियान्वयन की मौजूदा स्थिति का आंकलन करें। इस आंकलन में कानून/योजना के मुख्य हिस्से शीर्षक के तहत दिए गए 18 बिंदुओं में से हर बिंदु को आधार बनाये और स्थिति को जांचें।

इस योजना से संबंधित और जानकारी आप पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की पुस्तिका में पढ़ेंगे।

प्रायोगिक/ मैदानी कार्य

प्रायोगिक/ मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें ?
यह देखें कि किसी का पंजीकरण छूटा तो नहीं है?	यदि छूटा है तो पंचायत से मिलकर उनका पंजीयन करवाएं।
क्या सभी को जॉब कार्ड मिल गए हैं?	यदि किसी को नहीं मिले हैं, तो उन्हें जॉब कार्ड दिलवाएं।
नियमानुसार ज़ॉब कार्ड रोजगार हकधारक के नियंत्रण में ही होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी/दफ्तर, पंचायत, सरपंच या पंचायत सचिव सहित किसी और के पास नहीं होना चाहिए।	यदि लोगों के जॉब कार्ड किसी और के नियंत्रण में हैं, तो इस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी या कलेक्टर के साथ मिलकर कार्यवाही की प्रक्रिया में जाएं।
पंचायत में मनरेगा के तहत जो काम चल रहे हैं, क्या उनके लिए लोगों ने काम की मांग की थी? यदि बिना मांग के काम चल रहे हैं और रोजगार दिया जा रहा है, तो उसे रुकवाएं नहीं। समुदाय को बताएं कि काम की मांग करना जरूरी ताकि हमें पावती मिले और कानून में दिए गए अन्य हकों की सुरक्षा हो सके।	जॉब कार्ड हक धारक के पास की होना चाहिए और यह निःशुल्क मिलता है। यदि ऐसा न हो तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ कलेक्टर से मिलकर जवाबदेहिता सुनिश्चित करने वाली प्रक्रिया चलाएं।
जॉब कार्ड किनके पास है ?	जॉब कार्ड बनाने के लिए किसी ने कोई धनराशि तो नहीं ली?
मनरेगा के तहत वार्षिक और पंचवर्षीय योजना ग्राम सभा में बनना और अनुमोदित होना चाहिए।	समुदाय के साथ मिलकर सुनिश्चित करें और अपने संसाधनों, जरूरतों के मुताबिक समूह में बैठकर योजना का निर्माण करवाएं, ग्राम सभा में चर्चा हो और पंचायत उसके मुताबिक प्रक्रिया चलाएं।
मनरेगा के तहत कुछ हितग्राही मूलक योजनाएं भी हैं। जैसे – कपिलधारा में निजी भूमि पर कुएं, खेत	यह देखें कि इन योजनाओं में गांव/समुदाय में किन लोगों को लाभ मिल रहा है? क्या उन्हें पूरा

तालाब, चेक डेम, स्टाप डेम, लघु तालाब बनाए जाते हैं। नंदन फलोद्यान में फलों के पेड़ लगाने, भूमि शिल्प में भूमि सुधार, रेशम योजना, निर्मल वाटिका आदि।	लाभ मिला? कौन लोग हैं, जो वंचित रह गए हैं? जो भी पात्र हैं उन्हें ग्राम सभा और पंचायत के जरिए हक दिलाना।
मनरेगा के तहत निगरानी समिति बनना चाहिए।	पंचायत में निगरानी समिति बनी है। उसमें कौन लोग सदस्य हैं ? उसके रजिस्टर में जानकारियां दर्ज हैं ?
कानून के मुताबिक मनरेगा के कामों का सामाजिक अंकेक्षण होना।	हर छह माह में ग्राम सभा में मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण करवाना। इसमें केवल खर्चे के हिसाब किताब की बात ही महत्वपूर्ण नहीं है। यह देखना भी जरूरी है कि लोगों के जाब कार्ड बने हैं ? कितने लोग काम की मांग कर रहे हैं? जो नहीं कर रहे हैं, वे क्यों नहीं कर रहे हैं ? मनरेगा में होने वाले कामों की गुणवत्ता जांचना, सड़क की लम्बाई, कुएं का पूरा बनना, पूरी मजदूरी मिलना, बेरोजगारी भत्ता–मुआवजा मिलना सरीखे कई पक्षों पर सामाजिक जांच–पड़ताल करवाना है।
मनरेगा से आया बदलाव	इस कानून का मकसद है लोगों को रोजगार का अधिकार देना, गरीबी में कमी लाना, पलायन रोकना और महत्वपूर्ण उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करवाना। इस बात का समुदाय के साथ बैठ कर विश्लेषण करें कि क्या इनमें से कुछ लक्ष्य हासिल हुए? जो कुछ भी सकारात्मक हुआ है, उसके बारे में सबसे बात करें।

प्रायोगिक/मैदानी काम की रिपोर्ट

अब तक यह बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि मनरेगा एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण कानून है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि अपने गांव, पंचायत और समुदाय में इसे सही रूप में लागू करवाएं। आप अपने प्रायोगिक/मैदानी काम पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसका खाका प्रायोगिक कार्य पुस्तिका – एक परिचय में विस्तार से दिया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 और राशन व्यवस्था

(भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलना।)

पृष्ठभूमि

टिकाऊ विकास लक्ष्यों में दूसरा लक्ष्य है "भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना और टिकाऊ कृषि के बढ़ावा मिलना"। एक नजरिए से देखा जाए तो हमने पहले प्रायोगिक/मैदानी काम में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून/योजना का उल्लेख किया है। उसका एक अहम मकसद रोजगार उपलब्ध करवाना तो है ही, साथ ही पानी की संरचनाएं बना कर सिंचाई का दायरा बढ़ाना, खेतों–भूमि का उपचार करना, मेड बंधान करना, वृक्षारोपण करना भी है। इसका मतलब है कि उससे न केवल गरीबी के स्तर में कमी आ सकती है, बल्कि टिकाऊ खेती को भी बढ़ावा मिलता है और खाद्य सुरक्षा की स्थिति निर्मित करने में मदद मिलती है। वास्तव में इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किए जाने वाले प्रयास बहुत व्यापक होते हैं, किन्तु वे तब तक सफल नहीं हो पाते हैं, जब तक कि समुदाय उनसे न जुड़े, उनकी निगरानी न करें और उन्हें सही दिशा न दे।

इसी क्रम में जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तब सरकार सीधे भोजन सामग्री उपलब्ध करवा कर समाज को भुखमरी से दूर करती है। इसी मकसद से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून–2013 बनाया गया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण कानून है। इसमें चार महत्वपूर्ण हिस्से हैं –

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ता राशन उपलब्ध करवाना।
2. एकीकृत बाल विकास परियोजना के जरिए बच्चों और गर्भवती–धात्री महिलाओं की पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना।
3. स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन करना।

अपने प्रायोगिक/मैदानी कार्य में हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन की व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

सस्ता राशन अब एक योजना न रहकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का हिस्सा बन गयी है। नए कानून ने राशन को एक सेवा नहीं, हकदारी बना दिया है। खाद्य सुरक्षा का अधिकार देने के लिए दो तरह की श्रेणियां बनायी गई हैं, अन्त्योदय और प्राथमिक। दोनों श्रेणियों में परिवारों को समान कीमत पर सस्ता राशन मिलेगा। इन श्रेणियों से बाहर हुए परिवार खाद्य सुरक्षा का हक नहीं ले सकेंगे।

पात्र परिवार – देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को राशन की हकदारी डी गई है। ये राष्ट्रीय अनुपात है राज्यों के हिसाब से संख्या अलग–अलग होगी। तुलनात्मक रूप से

गरीब राज्यों में ज्यादा संख्या को शामिल किया गया है। राज्य सरकारें अपने संसाधन खर्च करके ज्यादा परिवारों या सभी परिवारों को सस्ते राशन का हक दे सकती हैं। पात्र परिवारों की पहचान राज्य सरकारें करेंगी और उन्हें इनके नाम की सूची सार्वजनिक करनी होगी।

महिला यानी परिवार की मुखिया, राशन कार्ड परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला, 18 साल से ज्यादा वर्ष की उम्र की महिला के नाम पर बनेगा। 18 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र की कोई महिला सदस्य न होने पर, राशन कार्ड वरिष्ठ सदस्य के नाम से बनेगा।

हक क्या हैं ?

प्राथमिकता श्रेणी – इसके तहत हर प्राथमिकता श्रेणी वाले परिवार को हर माह 5 किलो प्रति व्यक्ति के मान से राशन मिलेगा।

अन्त्योदय श्रेणी – प्रदेश में जो सबसे वंचित और गरीब परिवार होंगे, उन्हें अन्त्योदय की श्रेणी में रख जाएगा। इन परिवारों को हर माह 35 किलो अनाज प्रति परिवार के मान से मिलेगा। कीमत वही रहेगी, जो प्राथमिकता परिवारों के लिए तय है।

यदि राज्य सरकार चाहेगी तो लोगों को इससे ज्यादा मात्रा में भी अनाज दे सकती है।

अनाज की कीमत – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जो अनाज मिलेगा उसकी कीमत इस प्रकार होगी, बारीक अनाज (1 रूपए प्रति किलो)/गेहूं (2 रूपए प्रति किलो/चावल 3 रूपए प्रति किलो)।

मध्यप्रदेश में राशन व्यवस्था

सभी पात्र परिवारों के हक

क. सभी पात्र परिवारों (प्राथमिकता श्रेणी और अन्त्योदय श्रेणी) को एक रूपए प्रति किलो के मान से राशन मिलेगा।

ख. ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 63 प्रतिशत जनसंख्या खाद्य सुरक्षा की हकदार होंगी।

ग. मिट्टी का तेल और आयोडीन युक्त नमक भी मिलेगा।

घ. अन्त्योदय परिवार को 5 लीटर प्रति परिवार मिट्टी का तेल दिया जाएगा। प्राथमिकता परिवार को 4 लीटर तेल का प्रावधान किया गया है।

ङ. अन्त्योदय योजना के परिवारों को 7 लोगो अथवा 7 से कम लोगों की स्थिति में 35 किलो खाद्यान प्रदान किया जाएगा। यदि 7 सदस्य से ज्यादा है तो प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान प्रति माह अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा।

च. सभी पात्र परिवारों, प्राथमिक परिवारों की सूची बनाई जाएगी। सूची में निम्न समूह शामिल हैं –

अन्त्योदय योजना के परिवारों की पहचान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में इस श्रेणी के परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश में पहले से चली आ रही अन्त्योदय अन्न योजना के हितग्राहियों की सूची को इसके लिए उपयोग में लाया जा रहा है।

प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों की पहचान

1. समस्त अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल परिवार।[1]
2. मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक।
3. अनाथ आश्रम, निराश्रित, विकलांग छात्रावासों में रहने वाले बच्चे।[2]
4. गांवों में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूर।
5. शहरों में साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति।[3]
6. शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत घरेलू कामकाजी महिलाएं।
7. रेलवे के पंजीकृत कुली। (पंजीयन से सम्बंधित प्रमाणित जानकारी स्टेशन मास्टर रेल्वे से प्राप्त की जा सकती है)
8. बन्द पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक (उन्हीं पूर्व नियोजित श्रमिकों को सम्मिलित किया जाना है, जिनमें श्रमिकों के भुगतान निराकरण न होने के कारण लंबित हैं)।
9. समस्त भूमिहीन कोटवार– (वे सभी कोटवार जो भूमि स्वामी के रूप में धारण किए जाने वाली भूमि की गणना कर भूमिहीन की श्रेणी में आते हों)।
10. नगरीय निकायों में पंजीकृत केश शिल्पी।
11. एचआईवी (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से उन सभी एचआईव्ही संक्रमित व्यक्तियों की प्रमाणित जानकारी प्राप्त की जाए जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हों)
12. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही।[4]
13. निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन।
14. ग्रामीण क्षेत्र में वनाधिकार पट्टेधारी।
15. मत्स्य पालन के लिए बनी मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्य और उनके परिवार।
16. शहरी क्षेत्रों में हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति।[5]

---

1 यदि अन्त्योदय परिवार के किसी व्यक्ति का नाम समग्र पोर्टल में नहीं है तो ऐसी स्थिति में सत्यापित दस्तावेजों को देखकर जनपद पंचायत में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उसकी प्रविष्टि कर दी जाएगी।

2 इस श्रेणी के अंतर्गत हितग्राहियों के लिये पृथक राशनकार्ड बनाया जाएगा। जिस पर संस्था का पता लिखा होगा। संस्था के नाम से कोई कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।

3 यदि हितग्राहियों का पंजीयन समग्र पोर्टल में नहीं किया गया है तो जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित विभाग की निर्धारित प्रक्रिया से उनका नाम सूची में जोड़ा जा सकेगा। यदि हितग्राहियों का पंजीयन समग्र पोर्टल में नहीं किया गया है तो जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित विभाग की निर्धारित प्रक्रिया से उनका नाम सूची में जोड़ा जा सकेगा।

4 यदि हितग्राहियों का पंजीयन समग्र पोर्टल में नहीं किया गया है तो जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित विभाग की निर्धारित प्रक्रिया से उनका नाम सूची में जोड़ा जा सकेगा। यदि हितग्राहियों का पंजीयन समग्र पोर्टल में नहीं किया गया है तो जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित विभाग की निर्धारित प्रक्रिया से उनका नाम सूची में जोड़ा जा सकेगा।

17 शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत फेरीवाले (स्ट्रीट वेन्डर)।

18. मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी।(अनुज्ञप्तिधारी से सम्बंधित प्रमाणित जानकारी सम्बंधित सचिव कृषि उपज मंडी से प्राप्त की जा सकती)

20. बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 अंतर्गत परिचय पत्रधारी बीड़ी श्रमिक। (पंजीयन से सम्बंधित प्रमाणित जानकारी जिला श्रम अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है)

21. कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी। (पंजीयन से सम्बंधित प्रमाणित जानकारी जिला ग्रामोद्योग से प्राप्त की जा सकती है)

22. पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति।(पंजीयन से सम्बंधित प्रमाणित जानकारी उप चालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय से प्राप्त की जा सकती है)

23. सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत मत्स्य पालन करने वाले (मछुआरे) परिवार/सदस्य।

24. समस्त बीपीएल सूची में शामिल परिवार।[6]

25. मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार [1]।

26. मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार [2]।

27. चालक/परिचालक

(बिंदु 25 और 26 में उन्हे छोड़ कर जो आयकर का भुगतान करते हैं या सरकारी, अर्द्ध सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में काम करते हैं),

बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति तथा एचआईव्ही (एड्स) संक्रमित व्यक्ति सामान्यतः स्वयं परिवार के आश्रित सदस्य होते हैं, इसलिए इस श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियों के प्राथमिक नातेदार अर्थात् माता–पिता, पति–पत्नी, बेटा–बेटी एवं अविवाहित सगे भाई/बहन भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत खाद्यान्न आवंटन हेतु पत्र माने जाएंगे।

मध्यप्रदेश में इन सभी पात्र परिवारों, व्यक्तियों को कानून का लाभ तभी मिल पाएगा, जब वे सम्बंधित समूह/कार्यक्रम/मंडल या विभाग में पंजीकृत होंगे। यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि सभी मजदूरों, मछुआरों, बीड़ी श्रमिकों, बुनकर और शिल्पियों, हम्मालों और तुलावटियों सहित सभी वंचित तबकों की पहचान और पंजीयन हो सके। अन्यथा कई परिवार हकदारी से वंचित रह जाएंगे।

ग्राम सभा में सूची को सार्वजनिक करना

1. पात्र परिवारों की सूची बनने पर ग्रामसभा, वार्ड की विशेष बैठक में पढ़कर सुनाया जाएगा।
2. सूची को लेकर ग्रामसभा, वार्ड के सदस्यों के दावे या आपत्तियों को दर्ज किया जाएगा।

---

[5] यदि हितग्राहियों का पंजीयन समग्र पोर्टल में नहीं किया गया है तो जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित विभाग की निर्धारित प्रक्रिया से उनका नाम सूची में जोड़ा जा सकेगा। यदि हितग्राहियों का पंजीयन समग्र पोर्टल में नहीं किया गया है तो जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित विभाग की निर्धारित प्रक्रिया से उनका नाम सूची में जोड़ा जा सकेगा।

6 यदि बीपीएल परिवार के किसी व्यक्ति का नाम समग्र पोर्टल में नहीं है तो ऐसी स्थिति में सत्यापित दस्तावेजों को देखकर जनपद पंचायत में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उसकी प्रविष्टि कर दी जाएगी।

3. दावे और आपत्तियों के निराकरण की जिम्मेदारी तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार की होगी।

समग्र पोर्टल के माध्यम से पात्र परिवारों की जानकारी को सार्वजानिक करना

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है, जिसका नाम 'समग्र पोर्टल' है। इस पोर्टल में प्रदेश मे रहने वाले समस्त परिवारों एवं परिवार के सदस्यों की जानकारी को उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसमें व्यक्ति का संपूर्ण विवरण जैसे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति–पत्नि का नाम, आयु, जन्म दिनांक, लिंग, जाति, व्यवसाय, परिवार एएवाय, बीपीएल, धर्म, वैवाहिक स्तर, शैक्षणिक स्तर, श्रमिक संवर्ग में पंजीयन, पेंशन हितग्राही, विकलांगता, बचत खाते की जानकारी, भूमि की जानकारी इत्यादि शामिल है।

इस जानकारी के उपलब्ध होने के बाद सभी योजनाओं के हितग्राहियों का सत्यापन कार्य पूर्ण किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत शामिल अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता परिवारों का सत्यापन कार्य भी समग्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

यह जानकारियां एकत्र करने का मकसद मध्यप्रदेश सरकार की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे कि पेंशन सहायता, विवाह सहायता, छात्रवृत्ति, शिक्षा प्रोत्साहन, बीमा सहायता, प्रसूति सहायता, प्रसूति अवकाश सहायता, अंत्येष्टि सहायता एवं खाद्य सुरक्षा अध्यादेश–2013 के क्रियान्वयन अंतर्गत समस्त बीपीएल परिवार एवं प्राथमिकता परिवार जिसमें श्रमिक संवर्ग कार्डधारी, वृद्धाश्रम में निवास कर रहे निराश्रित वृद्धजन, विकलांग छात्रावासी बच्चे, अनाथालय मे निवास कर रहे निराश्रित बच्चे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राही, मानसिक रूप से अविकसित बहुविलांग इत्यादि को लाभान्वित किया जा सके।

समग्र पोर्टल पर समस्त योजनाओं एवं कार्यक्रमो की जानकारी उपलब्ध होने एवं नागरिकों का डेटाबेस उपलब्ध होने से समग्र पोर्टल में अपने आप ही व्यक्ति किन–किन योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु पात्रता रखता है, की जानकारी भी उपलब्ध हो जाएगी।

समग्र परिवार पहचान क्रमांक (आई.डी.) एवं सदस्य पहचान क्रमांक (आई.डी.) कहां से प्राप्त करें ?

समग्र परिवार पहचान क्रमांक (आई.डी.) एवं सदस्य पहचान क्रमांक (आई.डी.) प्राप्त करने हेतु अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका/नगर पंचायत) एवं जिला स्तर पर भी संबंधित कार्यालयों पर संपर्क किया जा सकता हैं। समग्र पोर्टल (http://samagra.gov.in/) पर अपने क्षेत्र का चयन कर आवश्यक जानकारी दर्ज करने पर समग्र परिवार पहचान क्रमांक (आई.डी.) एवं सदस्य पहचान क्रमांक (आई.डी.) को प्राप्त किया जा सकता है।

समग्र परिवार पहचान क्रमांक (आई.डी.) एवं सदस्य आई.डी.

समग्र पोर्टल पर प्रदेश मे निवासरत समस्त परिवारों एवं परिवार के सदस्यों का पंजीयन किया गया हैं। पोर्टल पर परिवार एवं परिवार के सदस्यय के पंजीयन के साथ ही समग्र पोर्टल से स्वतः ही परिवार के लिए 8 अंकों का समग्र परिवार पहचान क्रमांक (आई.डी.) एवं परिवार सदस्य के लिये 9 अंकों का समग्र सदस्य पहचान क्रमांक (आई.डी.) जनरेट हो जाती है, यह समग्र परिवार पहचान क्रमांक (आई.डी.) एवं सदस्य पहचान क्रमांक (आई.डी.) किसी भी शासकीय योजना (जिसमे खाद्य सुरक्षा कानून शामिल है) का लाभ प्राप्त करने में सहायक होती है। यह दोनों समग्र परिवार पहचान क्रमांक (आई.डी.) एवं सदस्य पहचान क्रमांक (आई.डी.) एक यूनिक पहचान क्रमांक (आई.डी.) है।

जिम्मेदारी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत क्रियान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (मध्यप्रदेश शासन) की है। राज्य स्तर पर आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और जिला स्तर पर जिला अधिकारी (जिला कलेक्टर) केन्द्रीय रूप से जिम्मेदारी व्यक्ति हैं। इसके साथ ही विभागीय स्तर पर जिला खाद्य अधिकारी, आपूर्ति अधिकारी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग) की भी जिम्मेदारियां तय हैं।

मध्यप्रदेश में जिला कलेक्टर को कानून के तहत जिला शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया गया है।

राशन की दुकान

- नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान का आवंटन प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार/विपणन सहकारी समिति जो कि मध्यप्रदेश राज्य विपणन सहकारी संघ मर्यादित की सदस्य हो/जिला थोक उपभोक्ता भण्डार/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, वृहताकार सेवा सहकारी समिति, महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, महिला स्व सहायता समूह को किया जा सकेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में, उचित मूल्य की दुकान का आवंटन प्राथमिक कृषि सहकारी समिति/आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, वृहताकार सेवा सहकारी समिति/विपणन सहकारी समिति जो कि मध्यप्रदेश राज्य विपणन सहकारी संघ मर्यादित की सदस्य हो, संयुक्त वन प्रबंधन समिति/लघु वनोपज सहकारी समिति/महिला स्व–सहायता समूह को किया जा सकेगा।
- उचित मूल्य दुकान का संचालन आबंटिती सहकारी समिति/संस्था द्वारा स्वयं किया जाएगा।
- प्रत्येक उचित मूल्य दुकान के लिए एक विक्रेता की नियुक्ति करना आवश्यक होगा जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता दसवीं पास होगी। आबंटिती सहकारी समिति विक्रेता की नियुक्ति में अपने मापदण्ड नियत कर सकेगी परन्तु उसमें न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता दसवीं पास से कम नहीं होगी।

- जिले के ग्रामीण क्षेत्र और प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत उचित मूल्य दुकानें महिलाओं की संस्थाओं को आवंटित की जाएगी जिसका संचालन भी महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। (स्पष्टीकरण– ऐसी संस्था को महिलाओं की संस्था समझा जाएगा जिसके सभी सदस्य एवं पदाधिकारीगण महिलाएं हों ।)
- उचित मूल्य दुकानों के खुलने तथा बंद करने का समय नगरीय निकाय/जिला पंचायत द्वारा नियत किया जाएगा परंतु उचित मूल्य की दुकान रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर न्यूनतम 7 घंटे प्रतिदिन खुली रहेगी।
  - ✓ शहरी क्षेत्र में – 1000 पात्र परिवारों पर एक राशन दुकान होगी।
  - ✓ ग्रामीण क्षेत्र में – हर पंचायत में एक राशन दुकान होगी। जहाँ पात्र परिवार संख्या 1000 से ज्यादा वहाँ दूसरी दुकान होगी।
  - ✓ 30 प्रतिशत दुकानें महिलाओं के समूह/संस्थाओं के आवंटित होंगी, संचालन भी महिलाएं ही करेंगी।
  - ✓ हर दुकान के लिए एक विक्रेता होगा।

नाम जुड़ना और राशन कार्ड जारी किया जाना

- यदि पात्र समूहों से सम्बंधित किसी व्यक्ति या परिवार का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के हकदारों की सूची में नहीं है तो वे स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिक, नगर निगम) में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दे सकते हैं।
- पात्र परिवारों को राशन कार्ड प्राधिकारी, जो संबंधित क्षेत्र के सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी होंगे, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रुप में राशनकार्ड जारी करेंगे।
- राशन कार्ड केवल सत्यापित परिवारों को ही जारी किया जाएगा।
- राशन कार्ड गृहस्थी की मुखिया के नाम से जारी किया जाएगा। प्रत्येक गृहस्थी में वरिष्ठ स्त्री, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम की न हो, राशनकार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए, गृहस्थी की मुखिया होगी।
- परन्तु जहां किसी गृहस्थी में किसी समय कोई स्त्री अथवा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है, किन्तु 18 वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य हैं तो वहां गृहस्थी का वरिष्ठ पुरूष सदस्य राशनकार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे राशनकार्डों के लिए पुरूष सदस्य के स्थान पर गृहस्थी की मुखिया बन जाएगी।
- नवीन राशनकार्ड जारी करने अथवा राशन कार्ड में संशोधन की समयावधि 15 दिवस एवं डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी करने की समयावधि 3 कार्य दिवस होगी।

- राशनकार्ड जारी करने हेतु राज्य सरकार शुल्क का निर्धारण कर सकेगी।

निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण

1. जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों का तीन माह में एक बार तथा निर्गम केन्द्र/थोक डीलर का प्रत्येक माह में एक बार निरीक्षण करने हेतु कलेक्टर द्वारा निरीक्षण रोस्टर तैयार किया जाएगा।
2. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार गठित राज्य/जिला/विकासखण्ड/ उचित मूल्य दुकान स्तरीय खाद्य सुरक्षा सतर्कता समितियां उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण कर सकेंगी। ऐसे निरीक्षण में कोई अनियमितता पाए जाने पर संबंधित समिति द्वारा जिला शिकायत निवारण अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा जो प्रतिवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर योग्य कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।
3. उचित मूल्य दुकानदार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत प्राप्त सामग्री की मात्रा, वितरण एवं शेष की जानकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित समयांतराल में संबंधित क्षेत्र के सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।
4. उचित मूल्य दुकान द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित संधारित समस्त अभिलेख सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लोक दस्तावेज होंगे। उचित मूल्य दुकान का विक्रेता जहां संस्था द्वारा अन्य कोई नियुक्त न किया गया हो, अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी होगा तथा दुकान आबंटन अधिकारी अपीलीय अधिकारी होगा।
5. आयुक्त लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित आवंटन/उठाव एवं वितरण संबंधी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर नियमित रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। ऐसी जानकारी सार्वजनिक प्रभुत्व क्षेत्र में रखी जाएगी।

पारदर्शिता

- पारदर्शिता के नजरिए से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किया जाना तय किया गया है। इसके लिए http://nfsaAsamagra.gov.in वेबसाइट स्थापित की गयी है। इस पर राज्य स्तर से लेकर राशन की दुकान के स्तर तक की जानकरियों को दर्ज किए जाने का प्रावधान है।
- हर राशन की दुकान पर जानकरियों का बोर्ड होना चाहिए।
- कोई भी व्यक्ति राशन की दुकान के दस्तावेजों का अवलोकन कर सकता है। राशन की दुकान से सम्बंधित सभी दस्तावेज सूचना के अधिकार के कानून के तहत सार्वजनिक दस्तावेज हैं।
- राशन का वितरण राशन दुकान के स्तर पर बनी सतर्कता समिति की निगरानी में होना चाहिए।

सामाजिक संपरीक्षा (सोशल आडिट) की व्यवस्था

अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 भी लागू हो गया है। यह कानून "जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की उपलब्धता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण सम्बन्धी सुरक्षा और उससे सम्बंधित या उसके अनुशांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए" लागू किया गया है।

हमारे लिए यह कानून दो नजरियों से महत्वपूर्ण है –

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ साथ मध्यान्ह भोजन, मातृत्व हक और एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के पोषण आहार वाले हिस्से को भी इस कानून में शामिल किया गया है।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में सामाजिक संपरीक्षा (सामाजिक संकेक्षण) का प्रावधान किया गया है।

इस कानून में सामाजिक संपरीक्षा (सोशल आडिट) के सन्दर्भ में दो महत्वपूर्ण उल्लेख हैं –

1. "सामाजिक संपरीक्षा से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें जनता किसी कार्यक्रम या स्कीम की योजना और कार्यान्वयन की सामूहिक रूप से मॉनीटर और उसका मूल्यांकन करती है।" – अध्याय 1 (20)
2. प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित दर की दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के सम्बन्ध में समय–समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अपने निष्कर्ष प्रचारित करवाएगा और आवश्यक कार्यवाही करेगा।

इन दोनों बिंदुओं का अध्ययन करने से समझ आता है कि आंगनवाड़ी के जरिए संचालित होने वाला पोषण आहार कार्यक्रम, कुपोषित बच्चों की पहचान का काम और मातृत्व हक सामाजिक संपरीक्षा (सोशल ऑडिट) के प्रावधान के तहत आते हैं।

यह काम स्थानीय निकाय करेंगे। अब हमें यह देखना है कि इस कानून में महिलाओं और बच्चों को क्या–क्या हक मिले हैं ?

दस्तावेज

जिस योजना या कार्यक्रम के बारे में सामाजिक संपरीक्षा की जाना है, उससे सम्बंधित दस्तावेज या उसके अधिकृत छायाप्रति कम से कम 15 दिन पहले समुदाय/स्थानीय निकाय के उस समूह को उपलब्ध करवाई जाना चाहिए, जो सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया चला रहा है। जैसे –

- समुदाय को जानकारी देने के लिए किए गए प्रयासों, सामग्री का विवरण, उसकी प्रति और उपयोग की प्रक्रिया
- राशन की दुकान से पात्र हितग्राहियों की सूची वाला रजिस्टर

- राशन कार्डधारियों की सूची
- अनाज प्राप्ति वाला भण्डार रजिस्टर
- अनाज वितरण वाला रजिस्टर
- सतर्कता समिति द्वारा किये गए कामों की जानकारी
- शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण
- राशन/अनाज के नमूने

कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

1. सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया चलाने की मूल जिम्मेदारी पंचायत/स्थानीय निकाय की होगी।
2. राशन प्रणाली के सामाजिक संपरीक्षा की सूचना कम से कम 1 माह पूर्व ग्राम सभा/वार्ड सभा को दी जाएगी।
3. कार्यक्रम से सम्बंधित दस्तावेज/रिकॉर्ड और जानकारियों की एक प्रमाणित प्रति खाद्य विभाग और राशन दुकान द्वारा संपरीक्षा के 15 दिन पूर्व ग्राम सामाजिक संपरीक्षा एनिमेटर के माध्यम से ग्राम सभा के सदस्यों के अध्ययन के लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी।
4. सामाजिक संपरीक्षा के दौरान राशन दुकान संचालक, सहायक आपूर्ति अधिकारी, राशन दुकान के स्तर की सतर्कता समिति और विकास खंड सतर्कता समिति के सदस्य और अनुविभागीय अधिकारी अनिवार्य रूप से बैठक में मौजूद रहेंगे।
5. इस प्रक्रिया के दौरान यह जरूर जांचा/समझा जाना चाहिए कि कानूनी हकों के बारे में समुदाय की जानकारी का स्तर क्या है ? इसके लिए राशन व्यवस्था के हितग्राहियों से अलग से समूह चर्चा की जाना चाहिए।
6. सहभागी सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से यह पता किया जाना होगा कि कौन से व्यक्ति या समुदाय इस कानून का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और क्यों ?
7. हमें यह जानना होगा कि क्या लोगों को शिकायत निवारण व्यवस्था और सतर्कता समिति के बारे में जानकारी है और क्या इसका उपयोग समुदाय द्वारा किया गया ? यदि उपयोग किया गया, तो उनके अनुभव क्या रहे ?
8. ग्राम सामाजिक एनिमेटर और ग्राम सभा के कुछ सदस्य राशन की दुकान, आंगनवाड़ी केंद्र और मध्यान्ह भोजन योजना के तहत स्कूलों का निरीक्षण करेंगे और सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इस प्रक्रिया में ग्राम सामाजिक एनिमेटर और ग्राम सभा के सदस्य योजनाओं से सम्बंधित सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करेंगे और उनसे सम्बंधित विषयों पर चर्चा कर सकेंगे।

9. यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया स्थानीय भाषा में हो। ग्राम सभा या सामाजिक संपरीक्षा की नगरीय बैठक में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट की भाषा भी स्थानीय हो।

सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया में 5 बातों को केंद्र में रखा जाना है और उससे जुड़ी हुई बातों को सामने लाना है –

1. कानून के मुताबिक लोगों के हक क्या हैं?
2. क्या उन्हें उन हकों के बारे में जानकारी दी गयी है ?
3. क्या सभी पात्र हकदारों को योजना में शामिल किया गया है?
5. सबसे वंचित (जाति, लिंग, आजीविका की साधनों, गरीबी या कोई अन्य कारण) लोगों को खाद्य सुरक्षा हक दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?
6. कोई समस्या या शिकायत होने पर, क्या लोग शिकायत कर पाए, क्या लोगों को यह बताया जा सका कि उन्हे कहां शिकायत करना है? उनकी शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या शिकायत का निराकरण हुआ ? कितने दिन में हुआ और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

प्रायोगिक कार्य में क्या करना है ?

जब आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन पर प्रायोगिक कार्य करेंगे, तो हमें सबसे पहले उस नजरिए को दोहराना होगा कि इस योजना का मकसद समाज में मौजूद खाद्य असुरक्षा को कम करना है। यह कानून केवल गरीबी की रेखा या अनुसूचित जाति–जनजाति वर्गों के हितों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि राज्य की 75 प्रतिशत जनसँख्या इसमें लिखे गए अधिकारों की पात्र है।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य की शुरुआत करते हुए सबसे पहले राशन व्यवस्था के सञ्चालन की वर्तमान स्थिति का गहरा आंकलन करें, उसे समझें।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें ?
समुदाय के साथ समूह चर्चा करके यह जानें कि राशन व्यवस्था के तहत जिन लोगों को प्राथमिक परिवार माना गया है, उनसे सम्बंधित कितने और कौन से परिवार हैं?	उन सभी परिवारों के नाम समग्र की सूची में दर्ज हैं या नहीं। यदि कोई परिवार छूटा हुआ है, तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के माध्यम से उनके नाम जुड़वाना है।
राशन की दुकान कहाँ स्थित है ? क्या वह बहुत दूर है ?	तय मानकों के मुताबिक राशन के दुकान खुलवाई जा सकती है।
राशन की दुकान से मिलने वाले राशन की गुणवत्ता	यदि गुणवत्ता खराब है या इंसानों के खाने के लायक नहीं है, तो उसे बदलवाया जा सकता है।
हक धारकों को किश्तों में भी राशन मिल सकता है और जरूरत पड़ने पर तीन महीने का राशन (यदि पिछले महीनों में न लिया हो तो) लिया जा सकता है।	समुदाय को इसके बारे में स्पष्ट जानकारी हो और उन्हें इसका उपयोग करने में मदद करें।
हर राशन की दुकान के स्तर पर एक निगरानी समिति का निर्माण होना है। जिसमें हितग्राही समूह यानी समुदाय के लोग भी होंगे।	यह पता कीजिये कि निगरानी समिति बनी या नहीं ? उसमें कौन लोग सदस्य हैं ? क्या उन्हें अपने काम के बारे में जानकारी है ?
जब भी राशन की दुकान पर अनाज आएगा, वह निगरानी समिति के सदस्यों के सामने उतरना चाहिए।	समुदाय को इसके बारे में जानकारी हो।
राशन कार्ड में मुखिया के रूप में सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य का नाम दर्ज होना चाहिए।	समुदाय को इसके बारे में जानकारी हो।

राशन की दुकानदार का व्यवहार	हितग्राहियों से सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। किसी भी हितग्राही के द्वारा जानकारी मांगे जाने पर, वह जानकारी देने से इनकार नहीं करेगा।
इस कानून के मुताबिक जिला स्तर पर शिकायण निवारण अधिकारी की नियुक्ति होना है।	मध्यप्रदेश में जिला कलेक्टर को जिला शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है, जो 30 दिन के भीतर शिकायत का निराकरण करेंगे।
ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण होना	इस कानून के मुताबिक सभी पहलुओं पर सभी तरह की जानकारी ग्राम सभा में प्रस्तुत करके सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया चलाई जाए।
बाकी अन्य कई पहलू, जिन्हें आप इसमें शामिल कर सकते हैं।	समुदाय के अनुभवों के आधार पर।

अपने प्रायोगिक / मैदानी कार्य में हमें यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय संसद द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का क्रियान्वयन समाज में व्याप्त खाद्य सुरक्षा और कुपोषण की स्थिति को सीमित कर सके। जब तक हम यह नहीं देखेंगे कि राशन व्यवस्था में सबसे वंचित लोग और परिवार (एकल महिलाएं, सामाजिक भेदभाव से जूझने वाले लोग, जैसे, पारधी, बेघर और कचरा साफ करने वाले लोग) इसमे शामिल हुए हैं या नहीं, नियमित रूप से उन्हे गुणवत्तापूर्ण राशन पूरी मात्रा में मिल रहा है या नहीं, राशन पाने के लिए उन्हे बहुत दूरी तो तय नहीं करनी पड़ती है, उनके साथ दुर्व्यवहार तो नहीं होता है, बिना भेदभाव के सभी को राशन मिला रहा है या नहीं, हमें यह भी देखना होगा कि जो परिवार पलायन करते हैं, उन्हें वापस आने पर अपने हक का राशन मिल सके, यह भी देखना होगा कि क्या लोगों पता है कि वे अपनी शिकायत कहां दर्ज कर सकते हैं और कितने दिन में उसका निराकरण हो जाएगा ? क्या उनकी शिकायत सुनी गयी और उसका निराकरण वास्तव में हुआ ? इसके लिए क्या कोई विशेष पहल हुई ? खाद्य सुरक्षा का हक उन्हें सम्मान के साथ मिले और व्यवस्था में जवाब देहिता तय हो। इन आधारों पर ही हम तय कर पायेंगे कि इस कानून का क्रियान्वयन संतोषजनक ढंग से हो रहा है, अन्यथा नहीं !

प्रायोगिक/मैदानी काम की रिपोर्ट

अब तक यह बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण हक आधारित कार्यक्रम है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि अपने गांव, पंचायत और समुदाय में इसे सही रूप में लागू करवाएं। आप अपने प्रायोगिक/मैदानी काम पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसका खाका प्रायोगिक कार्य पुस्तिकाः एक परिचय में विस्तार से दिया गया है।

लोक सेवा गारंटी कानून 2010 में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, इनका अध्ययन आप जवाबदेह तंत्र के लिए व्यवस्थाएं पुस्तिका में कर सकेंगे।

पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम, 1996

सतत् विकास के लिये शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिये न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाएं बनाना।

आपका संविधान इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यह मूल निवासियों के पहचान और उनकी व्यवस्थाओं को सम्मान देने की पहल करता है। उल्लेखनीय है कि देश के कई हिस्सों, जहाँ आदिवासी समाज रहता है, उन क्षेत्रों को एक प्रक्रिया के तहत पांचवी अनुसूची के क्षेत्र के रूप में पहचान दी गयी है।

सरकार भी मानती है कि आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से स्व–नियंत्रित समुदाय है। उनकी अपनी निजी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जिन्हें उन्होंने बहुत सम्मान के साथ सदियों से निरंतर बनाए रखा है। उनके पास अपने परंपरगत कानून और स्थानीय विवादों को हल करने की व्यवस्थाएं भी हैं। भारत का संविधान भी उनके इन व्यवस्थाओं को मान्यता देता है। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि आदिवासी समाज की अपनी पहचान बनी रहे। वास्तव में देखा जाए तो आदिवासी समाज से हमें व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण और समानता के कई पाठ सीखने को मिलते हैं। जब हम टिकाऊ विकास लक्ष्यों की बात करते हैं, तब एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत महसूस होती है, जिसमें विकास की परिभाषा–सोच को तय करने और उसके लिए कार्यक्रम बनाने का अधिकार समाज के पास ही हो। विकास की वह सोच मानवीय मूल्यों पर आधारित हो ताकि हमारे आज के विकास को आने वाली पीढियां उनके विनाश के रूप में न पढ़ें। जो प्रकृति के संरक्षण को मानव समाज की सबसे अहम जिम्मेदारी माने। एक स्तर पर कोई कह सकता है कि ऐसी व्यवस्था तो कल्पनाओं में होती है, किन्तु सच यह है कि आदिवासी समाज में ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं और हमारे संविधान में उनका उल्लेख भी है। इसे मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 1996 में पंचायतों के प्राबधान (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम {पेसा} लागू किया गया। इसे "पेसा" कानून भी कहते हैं।

स्थानीय शासन व्यवस्था

अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र (पांचवी अनुसूची)

- भारत में संविधान के तहत अनुसूचित क्षेत्रों (ऐसे क्षेत्र जहाँ अनुसूचित जनजाति समुदाय यानी आदिवासी समुदाय रहता है) के प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था की गयी है। इसकी व्यवस्था पांचवी अनुसूची में है।

- इस व्यवस्था में राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका बहुत अहम है ।
- जहां अनुसूचित जनजाति समुदाय निवास करता है, वहां जनजाति सलाहकार परिषद स्थापित की जाएगी। इसमें बीस सदस्य होंगे। इसमें से तीन चौथाई सदस्य वे होंगे जो राज्य विधान सभा में अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि हैं।
- यह परिषद राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति के लिए सलाह देती है।
- इस व्यवस्था के तहत राज्यपाल आदिवासी समुदाय की भीतरी, उनके सम्मान और व्यवस्था की सुरक्षा–संरक्षण के मद्देनजर अनुसूचित क्षेत्र में राज्य के किसी भी कानून को लागू करने से रोक सकता है या उसमें बदलाव करवा सकता है। ऐसा लोक अधिसूचना के जरिए किया जाएगा।
- संविधान की इस व्यवस्था के तहत शान्ति और सुशासन के लिए राज्यपाल नियम बना सकते हैं, इसमें खास तौर पर यह व्यवस्था है कि आदिवासियों की भूमि अधिकारिता की सुरक्षा हो सके।
- अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के सदस्यों को धन उधार देने वाले साहूकारों का नियमन करने के लिए। ऐसा करने के लिए यदि उन्हें किसी मौजूदा कानून में संशोधन करना पड़े या खत्म करना पड़े, तो वह भी किया जाएगा।
- अनुसूचित क्षेत्रों के सन्दर्भ में उधार, भूमिया से सम्बंधित नियम–कानून तब तक नहीं बनाया जाएगा, जब तक कि जनजाति सलाहकार परिषद से परामर्श न ले लिया जाए।

गांव के स्थानीय निकायों यानी पंचायत की ताकत

संविधान का अनुच्छेद 243 (छ)

राज्य का विधान मंडल कानून बना कर पंचायतों को स्वायत्त शासन की संस्था के रूप में काम करने के लिए ताकतवर बनाएगा।

क. पंचायतें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार कर सकती हैं,

ख. वे उन विषयों पर योजनाएं क्रियान्वित करेंगी, जो ग्यारहवीं सूची में सूचीबद्ध हैं,

पेसा कानून में ग्रामसभा की ताकत –

अगर अपन पेसा कानून को समझें तो पता चलता है कि ग्राम सभा आदिवासी समाज की एक स्व–प्रबंधन संस्था है। इस कानून के ढाँचे में ग्राम सभा की स्थिति सबसे ऊपर और सर्वोच्च है। इसमें राज्य और पंचायत से अपेक्षा की जाती है कि वे ग्राम सभा को काम करने में सहयोग करें।

पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम {पेसा} की विशेषताएं

1. राज्य का विधान मंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, जो केन्द्रीय कानून के बुनियादी विशेषताओं से असंगत हो।
2. गांव आमतौर पर एक बस्ती या बस्तियों का एक समूह या एक पुरवा या पुरवों के एक समूह से मिलकर बनते हैं। ऐसे हर गांव की एक ग्राम सभा होगी।

3. हर ग्राम सभा अपने लोगों की परम्पराओं और रीति–रिवाजों की रक्षा करने, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवादों के समाधान के परंपरगत तरीकों से रक्षा करने में सक्षम है।
4. गौण खनिजों के पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पत्तों की स्वीकृति से पहले ग्राम सभा या पंचायत द्वारा सिफारिश अनिवार्य है।
5. विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण करने से पहले या ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को बसाने या उनके पुनर्वास से पहले ग्राम सभा और उचित स्तर की पंचायत से परामर्श किया जाएगा।
6. उचित स्तर पर पंचायतें और ग्राम सभाएं सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण करेंगी।
7. चूंकि राजनीतिक सशक्तिकरण आर्थिक विकास की शुरुआत है इसलिए अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के सदस्यों के लिए पंचायतों की न्यूनतम 50 फीसदी यानी आधी सीटों पर और अध्यक्ष के सभी पदों को आरक्षित किया गया है।
8. ग्राम सभा ही अलग–अलग योजनाओं के हितग्राहियों का चयन करेगी।
9. ग्राम सभा को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को रोकने और हस्तांतरित भूमि की बहाली के लिए आदेश देने का अधिकार है।
10. ग्राम सभा ही सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन करेगी और लागू वन उपज पर उसका नियंत्रण/मालिकाना होगा।
11. वह शराब की बिक्री और खपत पर नियंत्रण रखती है।
12. कर्जों/ऋणों ने आदिवासियों के परेशानी में डाला है। इस कानून के मुताबिक ग्राम सभा को आदिवासियों को दिए जाने वाले कर्जों को नियंत्रित करने का भी अधिकार है।
13. वे पानी की संरचनाओं के प्रबंधन के लिए सशक्त हैं।

ग्राम सभा के अधिकार : कुछ व्यापक सन्दर्भ में

पानी – पानी की संरचनाओं के प्रबंधन के सन्दर्भ में अहम भूमिकाएं उचित स्तर की पंचायतों को सौंपी गई हैं। गांव के लोगों और गांवों के बीच सिंचाई या मछली पकड़ने या अन्य उपयोगों के लिए पानी के स्त्रोतों पर बराबरी के उपयोग का अधिकार रखा जाएगा। यदि कोई विवाद होता है तब ग्राम सभा में चर्चा होगी।

लघु वन उपज – ग्राम सभा को लागू वन उपज का मालिकाना हक दिया गया है। लागू वन उपज में क्या–क्या शामिल है, इसे पेसा कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मायता) अधिनियम, 2006 में इसे परिभाषित किया गया है। इसमें लकड़ी, बांस, बेंत, तसर, ककून, शहद, मोम, लाख, तेंदू पत्ते, औषधीय पौधे,

जड़ी–बूटियाँ, जड़ें, कंद सहित पौधों से प्राप्त होने वाली उपज शामिल है। इसके लिए संयुक्त वन प्रबंधन समिति (यदि हो तो) को ग्राम सभा के प्रति जवाबदेय बनाया गया है। यदि ग्राम सभा चाहे तो वह लघु वन उपज/वन संसधानों के प्रबंधन के लिए अपनी स्वयं की समितियां बना सकती है। यदि कोई लघु वन उपज बहुत कम मिल रही है या खत्म होने की कगार पर है, तो उन लागू वन उपजों के संग्रहण या बाहर ले जाने पर ग्राम सभा रोक लगा सकती है। लघु वन उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय करने में भी उनकी सहभागिता रहेगी। लघु वन उपज पर ग्राम सभा को रायल्टी मिलेगी, जिसे ग्राम सभा के कोष में जमा किया जाएगा।

स्थानीय बाजार – ग्राम सभा गांव के बाजारों का प्रबंधन करने के लिए सशक्त है। वह दुकानदारों और उपभोक्ताओं के लिए पानी, शेड और अन्य भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगी। यह तय करेगी कि बाजार में हानिकारक वस्तुएं न आएं और उनकी बिक्री न हो। धोखधड़ी या कीमतों के बारे में गलत सूचना या शोषण सहित सभी गलत व्यवहारों को रोकेगी। जुआ, सट्टेबाजी, भाग्य परीक्षण या मुर्गे की लड़ाई सरीखे व्यवहारों को रोकेगी। दुकानदारों पर कर लगाया जा सकता है। दो या अधिक गांव मिलकर एक साझा बाजार की व्यवस्था कर सकते हैं।

शराब – पेसा कानून के तहत ग्राम सभा को नशीले पदार्थ/शाराब की बिक्री और उपयोग को रोकने, नियांत्रित करने या सीमित करने का अधिकार है। इसके लिए वह नशा नियंत्रण समिति बना सकती है। इसमें कम से कम आधी संख्या में महिलाएं होंगी।

वन अधिकार कानून, 2006 – अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मायता) अधिनियम, 2006 जंगल में आदिवासी और अन्य वन वासियों के अधिकारों को पहचान–मान्यता देता है। वन अधिकार पर दो तरह के अधिकार हैं :

एक – 13 दिसंबर 2005 या इससे पहले से आदिवासियों ने जिस वन भूमि को अपने कब्जे में रखा है, उस पर उन्हें स्वामित्व का अधिकार दिया गया है। कब्जे की जो जमीन मिलेगी उसी सीमा 4 हेक्टेयर तक है। आदिवासियों के अलावा अन्य वनवासियों के लिए शर्त है कि वे वहां 75 वर्षों से रह रहे हों। (व्यक्तिगत अधिकार)

दो – वन क्षेत्रों के भीतर चारागाहों, गैर–इमारती लकड़ी, वन उपज का उपयोग या निपटान और विक्रय, मछली पकड़ने का अधिकार, वन संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन का अधिकार भी शामिल है। (सामुदायिक अधिकार)

यह कानून लागू होने के बाद अवैध बेदखली या जबरिया विस्थापन पर नियंत्रण। लोगों को पहले वन अधिकार मिलेगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया चलेगी। इस प्रक्रिया में ग्राम सभा को अधिकारों के दावे आमंत्रित करने और नक्शा बनाने का अधिकार है।

योजनाएं :

पेसा कानून ग्राम पंचायत को गांव की योजनाओं और परियोजनाओं पर सभी ग्राम सभाओं की मंजूरी हासिल करने की आदेश देता है। इसके तहत सभी विभागों की हर तरह की योजना और कार्यक्रम से सम्बंधित प्रस्ताव ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, ताकि वह उनका अनुमोदन करे, सहमति दे या कोई और निर्णय कर सके। इसमें ग्राम सभा को यह जानकारी होना चाहिए कि उस योजना की प्रासंगिकता और महत्व क्या है ? कार्यक्रम में कितनी राशि खर्च होगी ? उसमें से सरकार का हिस्सा कितना है, सहायता कितनी है और ऋण कितना है ? वह योजना कैसे और किनके माध्यम से (मशीने, ठेकेदार, तकनीक, स्थानीय लोगों की भूमिका आदि) क्रियान्वित होगी। उस योजना के पर्यावरण या आजीविका या स्थानीय संसाधनों पर क्या और किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे ? इतना ही नहीं गांव के लिए सरकारी सेवाओं, स्वास्थ्य, पानी आदि के बजट और योजना को अनुमोदन के लिए ग्राम सभा में रखा जाएगा। ग्राम सभा ही योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करेगी।

संसाधनों का उपयोग – इसमें भूमि अधिग्रहण के लिए परामर्श करने और सहमति की बात की गयी है। इसका मतलब यह है कि जब किसी काम के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, तब अनिवार्य रूप से ग्राम सभा को उस योजना/परियोजना, उसके आर्थिक, सामाजिक और प्रर्यावरणीय प्रभावों के बारे में सही–सही/तथ्यात्मक जानकारी स्पष्ट करके दी जाएगी। इसके बाद ही ग्राम सभा अपनी सिफारिश देगी। फिर भी यदि यह पता चलता है कि किसी बिंदु पर गलत या अधूरी जानकारी दी गयी है, तो ग्राम सभा को अपनी सिफारिश वापस लेने का अधिकार होगा। भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। गौण खनिजों के दोहन के लिए लाइसेंस या खनन का पट्टा लेने के लिए भी ग्राम सभा/पंचायत से अनुमति लेना जरूरी है।

परंपरागत विवादों का समाधान – पेसा कानून ग्राम सभा को लोगों की परम्पराओं और रीति–रिवाजों की रक्षा, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों से सम्बंधित निर्णय और विवादों को हल करने के परंपरगत तरीकों की रक्षा करने के लिए सशक्त बनाता है। ग्राम सभा भूमि, फसलों के बंटवारे, विरासत, सामुदायिक संसाधनों के उपयोग, प्रथाओं/विश्वासों से जुड़े मामलों, ऋण और ऋण शर्तों पर विचार, शादी, छेड़छाड़, तलाक, रखरखाव सरीखे वैवाहिक मामलों का संधान करने के लिए सशक्त है।

भूमि हस्तांतरण – पेसा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने और आदिवासी की अवैध रूप से हस्तांतरित भूमि को बहाल करने के लिए अधिकृत है। ग्राम सभा यह सुनिश्चित कर सकती है कि आदिवासी से सम्बंधित कोई भी जमीन गैर–आदिवासी व्यक्ति को न सौंपी जाए।

मध्यप्रदेश में पांचवी अनुसूची जिले/क्षेत्र

1. झाबुआ जिला
2. मण्डला जिला

3. डिंडौरी जिला

4. बड़वानी जिला

5. धार जिले की सरदारपुर, धार, कुक्षी, धरमपुरी, गंधवानी एवं मनावर तहसीलें

6. खरगोन (पश्चिम निमाड़) जिले की भगवानपुरा, सेगांव, भीकनगांव, झिरनिया, खरगोन एवं महेश्वर तहसीलें

7. हरसूद तहसील का खालवा आदिम जाति विकास खंड एवं खंडवा (पूर्वी निमाड़) जिले की खकनार तहसील का खकनार आदिम

जाति विकास खंड

8. रतलाम जिले में सैलाना तथा बाजना तहसीलें

9. बैतूल जिले में बैतूल (बैतूल विकास खंड को छोड़ कर) भैंसदेही और शाहपुर तहसीलें

10. सिवनी जिले में लखनादौन, घन्सौर एवं कुरई तहसीलें

11. बालाघाट जिले में बैहर तहसील

12. होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील का केसला आदिम जाति विकास खंड

13. शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैथारी, कोतमा, सोहागपुर, एवं जयसिंह नगर तह सीलें

14. उमरिया जिले की पाली तहसील में पाली आदिम जाति विकास खंड

15. सीधी जिले की कुसमी तहसील में कुसमी आदिम जाति विकास खंड

16. श्योपुर जिले की कराहल तहसील का कराहल आदिम जाति विकास खंड

17. तहसील तामिया एवं जामई तहसील के पटवारी सर्कल क्र 10 से 12 एवं 16 से 19. तक, परासिया तहसील में पटवारी सर्कल क्र. 09 में ग्राम सीरेगांव खुर्द एवं किरवारी तथा पटवारी सर्कल क्र 13 में ग्राम मैनावाड़ी एवं गवली परासिया, छिंदवाड़ा तहसील में पटवारी सर्कल क्र 25 का ग्राम बम्हनी, अमरवाड़ा तहसील में आदिम जाति विकास खंड हर्रई एवं पटवारी सर्कल क्र 28 से 36, 41, 43, 44 तथा 45–बी, तहसील बिछुआ, एवं सौंसर तहसील के पटवारी सर्कल क्र। 05, 08, 09, 10, 11 एवं 14, छिंदवाड़ा जिले की पांढुर्ना तहसील में पटवारी सर्कल क्र 01 से 11 तथा 13 से 26 एवं पटवारी सर्कल क्र 12 (ग्राम भूली को छोड़ कर), पटवारी सर्कल क्र 27 का ग्राम नंदपुर, पटवारी सर्कल क्र। 28 के ग्राम नीलकंठ एवं ढौण्डीखापा, पूर्ववर्ती पैराग्राफ में क्षेत्रीय विभाजन के सन्दर्भ में प्रदर्शित किया गया कोई भी नाम, इस आदेश के आरम्भ होने पर, उस नाम के क्षेत्रीय विभाजन के सन्दर्भ में वर्तमान के समान समझा जाएगा।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें ?
यह जानें कि आपका गांव/समुदाय/ क्षेत्र पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं ?	
समुदाय/समूह के साथ इकठ्ठा होकर पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम {पेसा} कानून के बारे में चर्चा करें। उन्हें इस बात से जागरूक करें कि आदिवासी समाज की पहचान और उनकी अस्मिता के लिए भारत की संसद ने कितना महत्वपूर्ण कानून बनाया है।	बेहतर होगा कि पेसा कानून की मूल भावना के बारे में बार–बार चर्चा हो, जो ग्रामसभा और आदिवासी समाज को सशक्त बनाती है। • अच्छेत श्रोता बनें • समूह में सभी की प्रतिभागिता के प्रति सजग रहें • क्यों? कौन? कहां? कैसे? के रूप में सवाल पूछें, लचीले बने रहें • व्यवस्थित रहें और अपनी तैयारी पहले से कर लें • विकास के मुद्दों पर जानकार रहें, सरल भाषा का प्रयोग करें
इसके बाद यह चर्चा करें कि पेसा कानून पानी से लेकर जमीन, आदिवासी समुदाय द्वारा लिए जाने वाले ऋण, रीति रिवाजों और वैवाहिक मामलों तक में ग्रामसभा को निर्णय लेने का अधिकार है।	• विचार विमर्श को एक दिशा में नियंत्रित करने का प्रयास करें। जहां दिशा भटक रही हो, वहीं हस्तक्षेप करें।
यह जानने का प्रयास करें कि गांव के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से हैं, समुदाय की समस्याएं क्या हैं। इन समस्याओं को वर्गीकृत करें और इनके समाधान का साझा दृ ष्टिसकोण विकसित करें।	• लोगों से चर्चा कर पानी, कृषि भूमि, ऋण की समस्याग, संपर्क सड़क, आंतरिक संसाधनों जैसे मुद्दों पर समुदाय की प्राथमिकता तय करें। • आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सी समस्या को सबसे पहले

	सुलझाना होगा। • इसके बाद देखें कि कौन इन मुद्दों के प्रति चिंतित है और कौन से लोग स्थिति में बदलाव चाहते हैं। • यह भी देखें कि कौन इन परिवर्तनों के रास्ते में आड़े आएगा और उन्हें रोकने की कोशिश करेगा।
अपने प्रायोगिक कार्य में गांव/समुदाय में घूमकर, लोगों से बात करके यह जानने की कोशिश करें कि वहां किस तरह के विवाद होते हैं? उनका निराकरण करने की अभी की व्यवस्था क्या है? कौन लोग कर्जदार है और कितना ब्याज चुकाते हैं? पारिवारिक–भूमि के विवाद कैसे सुलझाए जाते हैं?	• यदि आपको लगता है कि मौजूदा सन्दर्भ में पेसा कानून महत्वपूर्ण है, तो लोगों के बीच अपने अध्ययन के आधार पर चर्चा करें और वहीं विवाद निपटाने के लिए प्रेरित करें। • बदलाव के लिए तैयार समूह की पहचान कर उन्हें एकजुट करें। • उनमें नेतृत्व शक्ति का विकास करें।
पेसा कानून में ग्राम सभा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।	समुदाय के बीच संवाद/समूह चर्चा की प्रक्रिया चलते हुए उन्हें ग्राम सभा में आपने के लिए और ग्राम सभा को सक्रिय बनाने के लिए तैयार करें। जरूरी है कि सामूहिक निर्णय हों और सबको उनके बारे में पता हो।
जब भी विवादों का निपटारा करने की बात आये, तब कानून और संविधान के मूल्यों को जरूर ध्यान में रखा जाए।	समूह में कानूनों और संविधान में लिखे हुए मौलिक अधिकारों के बारे में जरूर बताएं।
लघु वन उपज और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर ग्राम सभा को बड़े अधिकार मिले हुए हैं।	आपको एक काम करना है कि आप गांव/बस्ती/समुदाय का यह अध्ययन करें कि वहां कौन–कौन लघु वन उपज इकठ्ठा करता है? कितनी उपज होती है? अभी वे उसका उपयोग कैसे करते हैं? जब

	वे बाजार में बेचते हैं, तब क्या उन्हें सही कीमतें मिलती हैं? लघु वन उपज संघ की क्या भूमिका है? लघु वन उपज इकठ्ठा करने से उन्हें रोका तो नहीं जाता है? जो भी जानकारियां आपको मिलती हैं, उनके आधार पर एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करें।
ग्राम सभा स्थानीय बाजार का प्रबंधन कर सकती है।	बाजार के प्रबंधन के लिए ग्राम सभा या बाजार समिति को सक्रिय करना और उनकी मदद करना।
वन अधिकार कानून, 2006 का क्रियान्वयन	यह कानून आदिवासी समाज की स्थिति को बहुत हद तक बदलने का काम कर सकता है। यदि आप इस कानून के तहत लोगों के व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार के दावे लगवा सकें, उनको प्रक्रिया में ला सकें और स्वीकृत करवा सकें, तो यह एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। यह देखना जरूरी है कि लोगों को उतनी वन भूमि (अधिकतम 4 हेक्टेयर) पर अधिकार पत्र मिल जाएं, जितने पर उनका पहले से कब्जा रहा है। इसी तरह सामुदायिक वन अधिकार के लिए करें।
गौण खनिजों का दोहन ग्राम सभा के अधिकार में है। इस तरह के दोहन के लाइसेंस के लिए ग्रामसभा की पूर्व अनुमति जरूरी है। गौण खनिज मतलब– बोल्डर, बजरी, कैल्सेडनी कंकड, लाइम शेल, कांकर, चूना पत्थर, मुरूम, ईंट की मिट्टी, मुल्तानी	यह देखें कि जिस गांव/समुदाय में हम काम कर रहे हैं, वहां गौण खनिजों की खदाने हैं या नहीं ? यदि हैं, तो वहां खनन का लाइसेंस कैसे दिए गया ? ग्राम सभा की उसमें क्या भूमिका थी? इससे गांव/समुदाय को क्या लाभ

मिट्टी, बेन्टोनाईट, सड़क धातु, रेट मिट्टी, स्टेल और शैल सामग्री, संगमरमर, गर के बर्तन बनाते के लिए इस्तेमाल किये जाने वाला पत्थर, क्वार्टजाईट, बलुआ पत्थर, शोरा बनाने के लिए इस्तेमाल में आने वाला पत्थर।	हो रहा है? याद रखिए कि गौण खनन पट्टे की अनुमति देने के समय ग्रामसभा पर्यावरण, स्थानीय ग्रामीणों के रोजगार की रक्षा के लिए शर्तें भी लगा सकती है। इन्ही आधारों पर ग्राम सभा खनन पर प्रतिबन्ध भी लगा सकती है।
ग्राम सभा की कार्रवाई को मजबूती प्रदान करने के लिए आपको – 1. बैठकों में समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना होगा 2. बैठक की कार्यसूची के बारे में पहले से सूचित करने में मदद करनी होगी 3. यह देखें कि ग्राम सभा की बैठकों के रजिस्टरों, संकल्प, रोकड़–बही, अभिलेखों आदि का नियमित रखरखाव हो। इसके लिए आपको ग्राम सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की मदद करनी होगी। 4. आपको ग्राम सभा के उप समूहों के गठन की प्रक्रिया को भी आसान बनाने के प्रयास करने होंगे, ताकि साझा हितों के मुद्दों को संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ आमने–सामने बैठकर निपटाया जा सके।	1. आपको गांव में संपर्क अभियान चलाकर समुदाय को ग्राम सभा की बैठकों के समय, स्थाान, ग्राम सभा की प्रस्तावित कार्यसूची के बारे में पहले से बताना होगा, ताकि समुदाय में उस पर चर्चा हो और लोग अपनी बात कह सकें। 2. ग्राम सभा की बैठक की कार्यसूची के विभिन्न मदों में आपको प्रासंगिक जानकारियां उपलब्ध कराने में मदद करनी होगी। जैसे गांव में कितने लोग वनोपज संग्रह में जुटे हैं, गांव में पेयजल की क्यों सुविधा है या ग्राम के हाट–बाजारों में मादक पदार्थों की बिक्री की स्थिति क्या है। 3. ग्राम सभा के उप समूहों के सदस्यों को उनके अधिकारों और भूमिकाओं के प्रति जागरूक करना, उन्हें ग्राम सभा को रिपोर्ट तैयार करने में मदद करना
ग्राम सभा के प्रस्तानवों को जमीन पर लागू में सहायता करना।	आप ग्राम सभा की गांव के उत्पादक (ड्वाकरा) समूह, वनाधिकार समूह, वन

	संरक्षण समिति, बाजार समिति, शिक्षा समिति, मातृ समिति, ग्राम स्वास्थ्य व पोषण समिति, मनरेगा समिति, नशा नियंत्रण समिति को निर्णय लेने में मदद करनी होगी। इसके लिए जरूरी हो तो पंचायत सचिव या बाहरी विशेषज्ञ/अधिकारियों की मदद भी लें।
पेसा के तहत ग्राम सभा व्यंक्ति के वनाधिकार के दावों का निर्धारण कर सकता है। दावे ग्राम सभा के जरिए किए जाते हैं, लेकिन इन दावों पर पहले ग्राम सभा उप मंडल स्तरीय समिति फैसला करती है और आगे जिला स्तरीय समिति को भेजती है, जो कि सर्वोच्च समिति है।	1. आपको वन भूमि पर व्याक्तिगत या सामुदायिक दावा करने में मदद करनी होगी। 2. ग्राम सभा को दावों के निर्धारण में सहायता करनी होगी। 3. अगर ग्राम सभा उप मंडल स्तरीय समिति किसी व्यक्ति या समुदाय के दावे को खारिज कर देती है तो आपकी भूमिका दावेदार के पक्ष में आदेश की मांग करते हुए अपील करने में मददगार की होगी।
ग्राम सभा के पास अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले स्वै च्छिक/गैर सरकारी संगठनों को उनकी गतिविधियों की रिपोर्ट पेश करने, उनके काम का विनियमन और गांव की विकास योजनाओं में उनके योगदान के लिए आग्रह भी कर सकती है।	आपको ऐसे संगठनों के साथ संबंध विकसित कर ग्रामीण समुदाय के विकास के लिए परस्पर सहयोग देने को प्रेरित करना होगा।

मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार हैं। सभी मनुष्य इन अधिकारों के साथ जन्म लेते हैं। इन अधिकारों को किसी व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता। इन अधिकारों की सुरक्षा करना तथा इन्हें बढ़ावा देना राज्यों का कर्तव्य हैं। केन्द्र सरकार द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 एवं सम्बन्धित अधिनियम में संशोधन 2006 द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन, कार्य शक्तियों प्रक्रिया एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों को अधिनियमित किया गया। मानवाधिकार संरक्षण 1993 की धारा 2 (घ) के अनुसार मानव अधिकार किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से सम्बन्धित ऐसे अधिकार हैं जिनका प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रावधान

मानव अधिकार संरक्षण की धारा–1993 एवं संशोधन अधिनियम, 2006 के अध्याय 2,3, और 4 की धारा 3 से धारा 20 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, त्यागपत्र, उन्हें हटाए जाने, पदावधि, सेवा के नियम, शर्तें, आयोग के कार्य, शक्तियां एवं प्रक्रिया इत्यादि का प्रावधान किया गया है।

आयोग के कार्य और शक्तियां

आयोग स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए आवेदन पर जांच करने, हस्तक्षेप करने, किसी अन्य संस्था का निरीक्षण करने, सरकार को अनुशंसा करने, मानव अधिकारों के संदर्भ में अनुसंधान करने, उनका संवर्द्धन करने, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जानकारी प्रसार करने, जागरूकता का संवर्द्धन करने, गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को उत्साहित करने इत्यादि सम्बन्धी कार्य करेगा।

मानव अधिकार आयोग की शक्तियां

आयोग को इस अधिनियम के अधीन शिकायतों के बारे में जांच करते समय वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचार करते समय सिविल न्यायालय को होती हैं। जैसे – साक्षियों को समन करना, शपथ का परीक्षण करना, दस्तावेज को पेश करने की अपेक्षा करना, शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना, लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना, परीक्षण के लिए कमीशन निकालना इत्यादि। इसके साथ ही आयोग को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 176 और धारा 177, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 एवं धारा 346 इत्यादि से जुड़ी शक्तियां भी प्राप्त हैं।

आयोग की प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 173 और 228 तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय की कार्यवाही समझी जाएगी।

आयोग जांच से संबंधित किसी अन्वेक्षण के लिए केन्द्र या राज्य सरकार की सहमति से किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

राज्य मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 एवं संशोधन अधिनियम, 2006 के अध्याय 5 की धारा 21 से धारा 29 तक राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, त्यागपत्र, हटाए जाने, पदावधि एवं सेवा की शर्तें इत्यादि प्रावधान उपबन्धित हैं।

राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन शक्तियों एवं उसे सौंपे गए कार्यों का पालन करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। साथ ही आयोग में दो अन्य सदस्य होते हैं। आयोग का एक सचिव होता है, जो आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कार्य करता है। आयोग का मुख्यालय भोपाल में है।

मानव अधिकार उल्लंघन सम्बंन्धी शिकायतें

किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों के उल्लंघन या अतिक्रमण की स्थिति में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई अर्जी पर निम्न प्रक्रिया का अनुसरण करता है –

शिकायतों की जांच

आयोग मानव अधिकार के उल्लंवघन या अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करते समय केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से स्वशयं द्वारा निर्देशित समय सीमा में कोई जानकारी या रिपोर्ट मांग सकता है। परन्तु यदि आयोग को नियत समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो वह शिकायत के बारे में स्वयं जांच कर सकेगा। यदि जानकारी या रिपोर्ट की प्राप्ति पर आयोग का यह महसूस होता है कि किसी और जांच की आवश्यकता नहीं है तो वह शिकायतकर्ता को तद्नुसार सूचित कर सकता है।

जांच से सम्बन्धित शक्तियां

आयोग, इस अधिनियम के अधीन शिकायतों की जांच करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(1908 का 5) के अंतर्गत वाद का तथा विशेष रूप से निम्न मामलों के सम्बन्ध में, विचार करते हुए, सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां रखेगा, यानी –

1. साक्षियों को बुलाना तथा उनकी उपस्थिति प्रवर्तित करना एवं शपथ पर उनकी परीक्षा करना।
2. किसी भी दस्तावेज को खोजना एवं प्रस्तुत करना।

3. हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना।

4. किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति के लिए अधियाचना करना।

5. साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

6. अन्य कोई मामला जो विहित किया जाएगा।

शिकायत में क्या शामिल होना चाहिए ?

आयोग को की जाने वाली शिकायत में निम्न जानकारी शामिल होनी चाहिए

1. नाम
2. डाक का पता
3. घटना स्थल
4. घटना की अवधि/दिनांक
5. घटना का विवरण
6. मानव अधिकार हनन की शिकायत किस शासकीय सेवक/ विभाग के विरुद्ध
7. क्या प्रकरण न्यायालय/ट्रिब्यूनल/किसी आयोग के समक्ष लम्बित है
8. मांगी गई सहायता
9. शिकायत मिलने पर, जब भी आवश्यक होगा, आयोग अधिक जानकारी के शपथ पत्रों को प्रस्तुत करने के निर्देश दे सकता है।

आयोग द्वारा संज्ञान लिया जाना (विचाराधिकार)

संज्ञान का मतलब स्वजयं किसी मामले में हस्ताक्षेप करना। आयोग स्व यं को मिलने वाली किसी भी जानकारी पर सम्बेन्धित विभाग से प्रतिवेदन बुला सकता है या अपनी स्वयं की जांच टीम को जांच के आदेश दे सकता है। इस जानकारी का स्रोत अखबार, टेलीविजन या कोई अन्य हो सकता है।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993

उद्देश्य

इस अधिनियम का उद्देश्य मानवाधिकारों के सर्वोत्तम संरक्षरण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग तथा मानवाधिकार न्यायालयों के गठन के लिए तथा उससे सम्बंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने के लिए प्रावधान बनता है। इस अधिनियम को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कहा जाएगा।

शिकायत करने की प्रक्रिया

1. प्रार्थना पत्र आयोग को संबोधित होना चाहिए।
2. प्रार्थना पत्र तीन प्रतियों में कार्यालय में प्राप्त किए ज़ाएंगे।
3. प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की कोई फीस/स्टाम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है।
4. प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई केवल सम्बंधित पक्षकारों से की जाएगी विशेष परिस्थितियों में पीठासीन अधिकारी के आदेशानुसार पक्षकारों के परिवारिक सदस्यों को सुनवाई में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जा सकती हैं।
5. सुनवाई में अधिवक्ता की उपस्थिति मान्य नहीं है।
6. प्रार्थना पत्र महिला स्वयं उपस्थिति होकर, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, फैक्स अथवा ई–मेल द्वारा दिया जा सकता है।
7. प्रार्थना पत्र पर आवेदक ध्आवेदिका के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी मूलरूप में होना चाहिए।

क्षेत्राधिकार

1. प्रकरण महिला उत्पीड़न से संबंधित होना चाहिए।
2. आयोग में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित उत्पीड़न के तथ्य से सम्बंधित प्रकरण माननीय न्यायालय या किसी अन्य आयोग में लम्बित नहीं होना चाहिए
3. प्रकरण सेवा से सम्बंधित नहीं होना चाहिए।
4. प्रकरण चल व अचल संपत्ति बंटवारा /वसीयत आदि से सम्बंधित नहीं होना चाहिए।
5. प्रकरण किरायेदारी से संबधित नहीं होना चाहिए।
6. प्रकरण परमिट लाइसेंस एसोसिएशन व्यापारिक सौदे इत्यादि से संबंधित नहीं होना चाहिए।
6. प्रकरण प्रार्थना पत्र देने की तथी से पांच वर्ष पुराना नहीं होना चाहिए।

मानवाधिकार आयोग में शिकायत का प्रारूप

1. शिकायत का विवरण

1. नाम

---

2. लिंग ______________________________

4. राज्य ______________________________

4. पूरा पता ______________________________

5. जिला ______________________________

6. पिनकोड ______________________________

2. घटना का विवरण –

1. घटना स्थल (गांव / कस्बा / शहर) ______________________________

2. राज्य ______________________________

3. जिला ______________________________

4. घटना दिनांक ______________________________

3. पीडिता का विवरण

1. पीडिता का नाम ______________________________

2. पीडिता की संख्या ______________________________

3. जिला ______________________________

4. पूरा पता ______________________________

5. जिला ____________________ पिनकोड ____________________

7. धर्म———————————————————————

8. जाति (अनु.अनु.ज.जा/अन्यपिछड़ा वर्ग/सामान्य)———————————

9. लिंग ———————————————————————

10. उम्र

———————————————————————

11. विकलांग व्यक्ति ———————————————————

4. तथ्यों/आरोपी का संक्षिप्त विवरण जिसमें मानवाधिकार आयोग संलिप्त हों ———————————

5. क्या शिकायत सशत्र सैनिक/पैरामिलिट्री सदस्यों के खिलाफ

हां ———————————————————————नहीं ———————————

6. क्या इससे पूर्व किसी न्यायालय /राज्य मानवाधिकार आयोग में संमान शिकायत की गई ———————————

7. लोक सेवक का नाम,पद एवं पता जिसके खिलाफ शिकायत की गई है ———————————

8. प्राधिकरण/कार्यालय का जिम्मेदार लोक सेवक का नाम एवं पद ———————————

9. प्रार्थना/राहत यदि कोई इच्छित हो ———————————

पुलिस व्यवस्था और नागरिकों के अधिकार

पुलिस एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनका चयन और प्रशिक्षण कानून और व्यवस्था तथा जनता की सुरक्षा और सेवा के लिए किया जाता है।

पुलिस के कार्य

- कानून और व्यवस्था बनाए रखना
- अपराध का निवारण करना
- अपराध की जांच करना
- संज्ञेय अपराध करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी करना
- किसी व्यक्ति के जान, माल और आजादी की सुरक्षा करना
- किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हर कानूनी आदेश और वारंट को निष्पादित करना

पुलिस का प्रशासनिक ढांचा

- एसएचओ या टीआई – पुलिस थाने का इंचार्ज होता है।
- डीएसपी – सब डिविजन का पुलिस अधिकारी होता है जबकि मेट्रोपोलिटन शहरों में असिस्टेंट कमिश्नर कहा जाता है, एसएचओ के काम की देखरेख करता है।
- एसपी – एक जिले की कानून और व्यवस्था में जिलाधीश की मदद करता है।
- एसएसपी – एक जिले के पुलिस प्रशासन का इंचार्ज होता है, जो जिला मजिस्ट्रेट के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में काम करता है, जबकि मेट्रोपोलिटन शहरों में डिप्टी कमिश्नर इंचार्ज होता है, इसकी मदद असिस्टेंट कमिश्नर करता है।
- डीआईजीपी – एक राज्य के तीन चार जिलों का इंचार्ज होता है। आईजीपी या डीजीपी (राज्य स्तर के पुलिस प्रशासन) का इंचार्ज होता है।
- संघ शासित पुलिस प्रशासन
- संघ शासित क्षेत्र में पुलिस प्रणाली की देखरेख केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा की जाती है। ये अधिकारी आईजीपी के सारे अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है।

गिरफ्तारी

निजी स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दिया गया सबसे अहम मौलिक अधिकार है। इसमें हस्तक्षेप अत्यंत सावधानी से और विवेक का सही इस्तेसमाल करके ही होना चाहिए।

'किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्र से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं। (अनुच्छेयद 21, भारत सरकार संविधान)'

'किसी व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रखा जाएगा व अपनी रूचि के अधिवक्ता से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। गिरफ्तार किए गए या अभिरक्षा में निरूद्ध रखे गए प्रत्येक व्यरक्ति को, गिरफ्तारी के स्थातन से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रखा जाएगा।' (अनुच्छेद 22 (1) व (2))

पुलिसकर्मी गिरफ्तारी के लिए अधिकार जरूर हैं, परन्तु इस शक्ति का इस्तेमाल बहुत सोच–समझकर किया जाना चाहिए। हर शिकायत या अपराध की जानकारी के पश्चात् गिरफ्तारी करना आवश्यक नहीं है। गिरफ्तारी तभी करनी चाहिए जहां प्रतीत होता हो कि आरोपी फरार हो जाएगा या फिर साक्ष्यों में गलत तरीके से दखल देगा।

विधिक गिरफ्तारी के प्रावधान

1. मजिस्ट्रेट के आदेश और बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है परन्तु कुछ ही स्थितियों में जैसे उस व्यक्ति का किसी संज्ञेय अपराध से संबंध होना, उसके पास किसी चोरी के मांल का होना, उसके द्वारा पुलिस के काम में बाधा डालना, इत्यादि। बाकी सभी मामलों में मजिस्ट्रे ट का आदेश होना आवश्यक है। (धारा 41 दंड प्रक्रिया संहिता)

2. गिरफ्तार करने के लिए आरोपी को अपराध बताया जाएगा फिर गिरफ्तारी होगी। यदि आरोपी अपने आप को आपकी हिरासत में दे दे तो उसे हाथ लगाना भी जरूरी नहीं। अन्यथा आप उसे पकड़ कर गिरफ्तारी कर सकते हैं। परन्तु पकड़ने का मतलब मारपीट, धकेलना, खींचना नहीं है। (धारा 46, दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

3. यदि आरोपी की भागने की संभावना है तो भी कम से कम साधन द्वारा रोकना ही वाजिब है। यानि यदि हाथ से पकड़ने से काम चलता हो तो बांधना नहीं चाहिए। (धारा 49, दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

4. हथकडियां लगाना केवल कुछ ही स्थितियों में कानूनी है – जहां जाना–माना अपराधी हो और उसके भागने की घोर आशंका हो। आमतौर पर हथकड़ी /बेडियों का इस्तेमाल गैर कानूनी है। यदि हथकड़ी लगाई जाती है तो उसके लिए कारण पहले दर्ज करने होंगे।

5. गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है परन्तु जो भी सामान या वस्तुएं बरामद हों, उनका पंचनामा बनाकर उस सामान की रसीद उस व्याक्ति को अवश्यक दी जानी चाहिए। (धारा 51, दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

6. महिला आरोपी की तलाशी केवल एक दूसरी महिला ही ले सकती है और वह भी पूरी शालीनता और मर्यादा का ध्यांन रखते हुए। (धारा 51 (2), दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

7. हर गिरफ्तार व्यतत्कि को संबंधित मजिस्ट्रेट या थाना प्रभारी के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। (धारा 56, दंड प्रक्रिया संहिता)

8. भारत के संविधान में, 24 घंटे से अधिक की पुलिस हिरासत (मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना) की मनाही है और यह हर व्यकित का मौलिक अधिकार है। फिर भी, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यसक्ति को 24 घंटो तक थाने में रखा जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को थाने में केवल उतने ही समय के लिए रखा जाना चाहिए जितना वाजिब हो, और यह अवधि किसी भी हालत में 24 घंटों से अधिक नहीं होना चाहिए।(धारा 57, दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

9. थाना प्रभारी जिला मजिस्ट्रेट (या एसडीएम) को आवश्यक रिपोर्ट दें।

पुलिस की जिम्मेदारी और जवाबदेहिता

हिरासत में हिंसा की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, उच्चतम न्यायालय ने पुलिस व सरकार के कुछ अन्य विभागों को कुछ निर्देश दिए हैं। ये निर्देश किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या हिरासत में रखने और पूछताछ के संबंध में हैं :–

1. किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले और पूछताछ करने वाले पुलिकर्मियों को सही, स्पष्ट दिखाई देने वाले पहचान–चिन्ह और नाम–पट्टी लगाना जरूरी है।

2. जो पुलिसकर्मी गिरफ्तार व्याक्ति की पूछताछ कर रहे हों उनका पूरा ब्यौरा एक रजिस्टहर में दर्ज होना आवश्यक है।

3. किसी को गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी का ज्ञापन (मेमो ऑफ अरेस्ट) आवश्यक है। इस पर–

   - कम से कम एक गवाह के हस्ताक्षर होने चाहिए। यह गवाह या तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्म हो, या फिर उस इलाके का कोई जाना–माना व्यक्ति हो।
   - गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर भी होने चाहिए।
   - गिरफ्तारी की तारीख व समय दर्ज होना आवश्यतक है।
   - गिरफ्तारी या पूछताछ के लिए किसी भी प्रकार की हिरासत में रखे गए व्यरक्ति को हक है कि उसके किसी एक शुभचिंतक, परिवार के सदस्या, मित्र या अन्य् पहचान वाले को तुरंत सूचना दी जाए कि उसे गिरफ्तार किया गया है और किस स्था न पर रखा गया है। यदि ऐसा व्य क्ति वही है जिसने मेमो पर हस्तावक्षर किए हैं तो अलग से सूचना देना आवश्यक नहीं है।

- यदि गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के सदस्ये या मित्र उस जिला या शहर के बाहर रहते हों, तो यह सूचना गिरफ्तार के 8 से 12 घंटे के अंदर तार द्वारा पहुंचानी आवश्यक है। तार जिला कानूनी सहायता केन्द्र और संबंधित थाने द्वारा किया जाएगा।

> 'हिरासत में हिंसा, जिसमें यातना व मृत्युय़ भी शामिल है, कानून के शासन को गहरा आघात पहुंचाती है। कानून का शासन होने से मतलब है कि कार्यपालिका की शक्ति न केवल कानून पर आधारित होनी चाहिए, परन्तुल कानून द्वारा ही सीमित भी होनी चाहिए ...(इस विषय में) खुलापन और जवाबदेही दो ऐसे सुरक्षा के तरीके हैं जिस पर अदालत जोर दे सकती है।'
>
> डी.के. बासु बनाम स्टे ट ऑफ वेस्टअ बेंगाल, (1997) 1 एस.सी.सी. 216
>
> (साभारः एमनेस्टीए इन्टतरनेशनल इंडिया)

- गिरफ्तारी के समय ही गिरफ्तार व्यक्ति को यह बताया जाना आवश्यक है कि उसे अपनी गिरफ्तारी के बारे में किसी को सूचना भिजवाने का अधिकार है ।
- जिस जगह गिरफ्तार व्यक्ति को रखा जाएगा, वहां उसका नाम व सूचित किए गए व्यक्ति का नाम, इत्यादि सूचना रोजनामचे (डायरी) में दर्ज होनी चाहिए। जिन पुलिसकर्मियों की हिरासत में उस व्यक्ति को रखा जा रहा है, उनके नाम और अन्यय जानकारी भी दर्ज होने चाहिए ।
- यदि गिरफ्तार व्यक्ति चाहे तो गिरफ्तारी समय उसकी शारीरिक जांच भी हो सकती है। यदि उसके शरीर पर छोटी या बड़ी चोटें हों तो उन्हें उसी वक्तो दर्ज किया जाना चाहिए। जांच के बाद 'निरीक्षण मेमो' पर गिरफ्तार व्यमक्ति व गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मी के हस्तोक्षर होने चाहिए। इस मेमो की एक प्रति (कॉपी) गिरफ्तार व्यक्ति को दी जानी चाहिए।
- हिरासत में रखने के बाद गिरफ्तार व्यक्ति की हर 48 घंटों पर डॉक्टरी जांच होनी चाहिए। जांच करने वाला डॉक्टर बाकायदा प्रशिक्षित होना चाहिए और राज्य के स्वास्थ्य निर्देशक (डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज) द्वारा चुनी पैनल पर होना चाहिए। हर राज्य के स्वास्थ्य निर्देशक को डॉक्ट्रों की यह सूची (पैनल) तैयार करनी होगी।
- गिरफ्तारी के बाद अरेस्टज मेमो इत्योदि सभी दस्तावेजों की प्रतियां इलाके के मजिस्ट्रेट को भेजनी होंगी। मजिस्ट्रेट के यहां यह रिकॉर्ड रखा जाएगा।
- गिरफ्तार व्यक्ति को यह हक है कि वह पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिल सके। परन्तु पूछताछ के पूरे समय वकील का होना जरूरी नहीं है।

- पुलिस के हर जिले व राज्यि के प्रमुख कार्यालयों में एक कंट्रोल रूप का प्रावधान करना होगा। किसी भी गिरफ्तारी की सूचना देनी होगी। यह सूचना कंट्रोल रूम के किसी साफ दिखने वाले सूचना पट (नोटिस बोर्ड) पर लगाई जानी चाहिए –

तलाशी लो!

लेकिन ऐसे .....

✓ किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (जिसकी जमानत किसी कारणवश न हुई हो), की तलाशी ली जा सकती है।
✓ तलाश किए गए व्यिक्ति के पास सभी वस्तुस्एं बरामद की जा सकती हैं, परन्तु उनकी रसीद उस व्यक्ति को देना जरूरी है।
✓ बरामदी करते समय व्यक्ति के पहने हुए आवश्यकक कपड़े नहीं लिए जा सकते।
✓ सभी बरामद वस्तुएं पुलिस हिफाजत से रखेगी।
✓ महिलाओं की तलाशी केवल कोई महिला ही कर सकती है और यह भी शालीनता का पूरा ध्यानि रखते हुये।

(धारा 51, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

✓ ये निर्देश प्रत्येट राज्य के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस) को भेजे गए हैं। उन्हें ये निर्देश अपने क्षेत्र के प्रत्येक थाने में लगवाने होंगे। यानि देश के हर थाने में ये निर्देश प्रदर्शित होना अनिवार्य है।

✓ इन निर्देशों का पालन न करने पर सम्बनन्धित अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई होगी। इनका पालन न करना उच्च्तम न्यायालय की अवमानना होगी जो कि एक गंभीर अपराध है जिसके लिए कैद और जुर्माना हो सकता है।

थाने में इस प्रकार की घटनाएं न हों!

1. जमानती अपराध में, गिराफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत मिलना उसका अधिकार है।
2. (धारा 436 और प्रारूप 45 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

✓ गिरफ्तार व्यक्ति को तुरन्ता बताना आवश्यरक है कि उसे किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है। वह जिस अपराध में गिरफ्तार है वह जमानती है या गैर जमानती। जमानत लेने का तरीका भी समझाना होगा।

✓ (धारा 50 (2), दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

3. अकारण किसी व्यक्ति को अधिक समय तक थाने में बैठाकर न रखें।
4. गिरफ्तार व्यक्ति को जरूर समझाएं कि जमानत के लिए नगद पैसा थाने के किसी अधिकारी को न दें।

5. गिरफ्तार व्यक्ति या उसके रिश्तेदार या साथी को ठीक से, सरल भाषा में समझाएं कि जमानत पत्र कैसे भरा जाएगा और उसके साथ किस प्रकार के कागजात लाने हैं।

6. जमानती के जमानत के लिए जमीन के कागजात या अन्या सम्पत्ति के प्रमाण की केवल कॉपी रखें, असल कागजात या दस्तावेज तुरन्त उन्हें लौटा दें।

7. जमानत की रकम नहीं होनी चाहिए और मामले की परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए। इन परिस्थतियों में आरोपी की आर्थिक अवस्था भी शामिल हैं।

8. (धारा 440, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973) गैर जमानती जुर्म में भी थाने के अधिकारी को यदि प्रतीत हो कि आरोपी के गैर जमानती जुर्म के पर्याप्त कारण नहीं है, परन्तु आगे जांच करने की आवश्यककता है तो कारण लिखित में दर्ज कर आरोपी से बंधपत्र (बॉण्ड) भरवाकर जमानत पर छोड़ सकते हैं।

   (धारा 437(2), और (4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

9. यदि बॉण्ड की जगह रकम जमा करवाते हैं तो उसकी पूरी लिखा पढ़ी करें और रसीद प्रदान करें।(धारा 445, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

10. यदि थाना प्रभारी को प्रतीत होता है कि आरोपी को मजिस्ट्रेट के पास भेजने के लिए साक्ष्य या शक के पर्याप्त आधार नहीं हैं तो वे उससे बॉण्डा भरवा के (चाहे जमानत के साथ या बिना जमानत के) रिहा कर सकते हैं। (धारा 169, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

'खौफ को खत्म करना!'

भारतीय समाज में पुलिस की छवि एक खौफ के रूप में सामने आती है! हमें पुलिस की इस छवि की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी और अपना काम ऐसे करना होगा, जिससे अपने कार्य के, कानून के और स्वयं जनता के प्रति हमारी जवाबदेही स्पष्ट हो। इसलिए बेवजह किसी को थाने में न बुलाएं।

1. पूछताछ के लिए यदि किसी को थाना बुलाना हो तो थाने के जांच अधिकार के लिखित आदेश के आधार पर ही बुलाएं। (धारा 160 (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

2. 15 साल से कम के किसी व्यक्ति को और किसी भी उम्र की महिला को पूछताछ के लिए न बुलाएं। उनसे जानकारी उनके घर पर, उचित समय, परिवार के सदस्यों के सामने, सभ्य ढंग से लें। (धारा 160 (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

3. किसी भी व्यक्ति से कुछ बुलवाने, कहलवाने या लिखवाने के लिए किसी को लालच, शर्त या धमकी न दें। कानून में इसकी सख्त. मनाही है।

4. अकारण किसी व्यक्ति को अधिक समय तक थाने में बैठकार न रखें।

कानून भी अब इन निर्देशों को समझने लगा है और मानता है कि बच्चेर से गलत काम इसलिए हो सकते हैं रू–

इस कानून के लागू होने के तुरंत बाद, दिल्लीर के तीन बच्चों को हिरासत में लेकर जेल में रिमाण्डम कर दिया। बच्चों को जेल रिमाण्डे या पुलिस रिमाण्डल में देना बिल्कुलल गैर कानूनी है। कभी–कभी पुलिस को या मजिस्ट्रे ट को बच्चों की उम्र का अन्दाजा नहीं लग पाता।

- ✓ उसकी पारिवारिक और सामाजिक स्थिति।
- ✓ उसकी मासूमियत या भोलापन।
- ✓ उसकी परिस्थितियां।

इसलिए बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान हमेशा रहे हैं, और अब बच्चों की कानूनी प्रक्रिया बदल गई है। आपके काम के दौरान भी बच्चों से कई परिस्थितियों में वास्ता पड़ता होगा? तब आपको ध्याच रखना होगा –

1. 7 साल से कम उम्र के बच्चो द्वारा किया गया कोई भी गलत काम अपराध नहीं कहलाता । (धारा 82, दंड प्रक्रिया संहिता, 1960)

2. 7 से 12 साल के बीच के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी काम अपराध नहीं है यदि उसकी बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ है कि वह अपने किए का मतलब या परिणाम समझ सकें ।(धारा 83, दंड प्रक्रिया संहिता, 1960)

3. 18 साल की उम्र तक के बच्चे पर किशोर न्याथ (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 लागू होगा, जिसके अनुसार, बच्चे् इन श्रेणियों के अनुसार सुरक्षा और देखभाल के योग्य हैं –

   वे बच्चे जो किसी अपराध से जुड़े हों। विधि का उल्लंदघन करने वाला किशोर;

   वे बच्चे जिन्हें अन्य कारणों से देखभाल और सुरक्षा की आवश्यघ्कता हो;

इन दोनों के प्रति पुलिस की जिम्मेदारी है। इन बच्चों के प्रति सही भूमिका निभाने के लिए कानूनी ढांचा समझना आवश्यकक है।

1. किशोर अपराधी को हिरासत में लेने के बाद तत्काल विशेष किशोर पुलिस इकाई (स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या एस.जे.पी.यू.) के पास या नामित पुलिस अधिकारी (डेजिगनेटिड पुलिस अफसर या डी.पी.ओ.) के पास ही रखा जाएगा।

2. हर जिले में एक विशेष किशोर पुलिस इकाई होगी और हर थाने में एक नामित पुलिस अधिकारी होगा। इस स्थिति में पुलिस अधिकारी तुरन्त किशोर न्यारय बोर्ड के किसी सदस्य को इसकी सूचना देंगे।

3. बाल न्यालयिक बोर्ड बच्चों द्वारा किए गए अपराधों की जांच करने के लिए गठित किए गए हैं। इसमें एक मेट्रोपोलीटर मजिस्ट्रेट या पहली श्रेणी के मजिस्ट्रेट और समाज के दो व्यक्ति होंगे, जिनमें से एक महिला होना आवश्यक है। प्रत्येतक जिले में या कहीं–कहीं कुछ जिलों के समूह के लिए एक बोर्ड का गठन होगा। (किशोर न्यााय अधिनियम)। इस बोर्ड में बच्चों से सम्बंन्धित विशेष जानकारी रखने वाले व्यक्ति ही नियुक्त होंगे।

4. हिरासत में लेने के तुरन्त बाद, थाना प्रभारी या एस.जे.पी.यू. बच्चे के माता–पिता या संरक्षक, (यदि वे मिल जाएं तो) को सूचना देंगे और बताएंगे कि वे उस बोर्ड के आगे उपस्थित हों, जहां बच्चे् को पेश किया जाएगा। (किशोर न्याय अधिनियम 2015))

5. थाना प्रभारी परिवीक्षा अधिकारी (प्रोबेशन ऑफीसर) को सूचना देंगे, ताकि ये बच्चे पारिवारिक स्थिति और अन्य जानकारी बोर्ड को दे सकें। (किशोर न्याय अधिनियम))

6. बच्चों को हिरासत में लेने के लिए, वे सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे, जो अन्य आरोपियों के लिए उठाए जाते हैं।

7. सामान्या कानून के अनुसार बच्चों को बोर्ड के सामने 24 घंटे के अंदर–अंदर पेश करना अनिवार्य है। जब तक बच्चे थाने में है, उसे थाने में किसी सुरक्षित भाग में रखा जाए। यानि बच्चे को किसी भी हालत में लॉकअप में नहीं रखा जाएगा ।

8. बच्चे् को, किसी भी अपराध में हिरासत में लिया जाए, तो भी उन्हें तुरन्त जमानत पर छोड़ना जरूरी है। किशोर न्या.य अधिनियम)

गैर जमानती जुर्म में भी बच्चों को जमानत पर छोड़ना आवश्यक है –

1. यदि ऐसा लगे कि बच्चों की जमानत पर छोड़ने से वह किसी जाने हुए या खतरनाक अपराधी की संगत में आ सकते हैं या फिर किसी नैतिक, शारीरिक या मानसिक खतरे का शिकार हो सकता है या फिर उसको जमानत पर छोड़ना न्यायिक नहीं होगा तो बच्चे की जमानत नामंजूर भी हो सकती है। ये कारण लिखित में दर्ज करने होंगे।

2. जब तक बच्चा बोर्ड के सामने पेश नहीं किया जाता, तब तक उसे केवल निरीक्षण गृह (ऑब्जर्वेशन होम) में ही रखा जाएगा। यानि किसी भी बच्चे को थाने में रखना वर्जित है। (धारा 12 (2)

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर)

1) पुलिस थाने या चौकी में दर्ज की गई ऐसी पहली अपराध की रिपोर्ट को प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर कहा जाता है।

2) हर व्यक्ति अपने तरीके से अपराध के उस समय ज्ञात ब्यौरे देते हुए रिपोर्ट लिखवा सकता है।

3) पुलिस इस एफआईआर को अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लेगी और पावती के रुप में एक प्रति रिपोर्ट दर्ज कराने वाले को देगी।

4) पुलिस सभी प्रकार के अपराधों की रिपोर्ट दर्ज करती है, लेकिन केवल संज्ञेय अपराधों के मामलों में ही पुलिस स्वयं जांच पड़ताल कर सकती है।

5) असंज्ञेय अपराधों के मामलों में पुलिस पहले मामले को मजिस्ट्रेट को पेश करती है और उससे आदेश प्राप्त होने के बाद ही वह जांच–पड़ताल शुरू कर सकती है ।

6) अगर थाने में मौजूद पुलिस कर्मचारी, अधिकारी रिपोर्ट लिखने से मना कर दे तो शिकायतकर्ता उस क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक को डाक से रिपोर्ट भेज सकता है ।

7) अगर रिपोर्ट लिखवाने वाला/वाली अनपढ़ हो तो ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी उसके बताए विवरण के मुताबिक उसकी ओर से रिपोर्ट लिखनी चाहिए और उसे पढ़कर सुनानी चाहिए।

8) ऐसी एफआईआर को सुनकर शिकायतकर्ता करने वाला/वाली रिपोर्ट पर अपने अंगूठे का निशान लगा सकता/सकती है।

9) अगर शिकायतकर्ता को लगता है कि रिपोर्ट में तथ्य ठीक नहीं लिखे गए हैं तो वह रिपोर्ट लिखने वाले पुलिस अधिकारी से आवश्यक संशोधन करने को कह सकता है ।

एफआईआर में निम्नलिखित विषय हों

- अभियुक्त का नाम और पता
- अपराध होने का दिन
- स्थान तथा समय
- अपराध करने का तरीका तथा उसके पीछे नीयत और मकसद
- साक्षी का परिचय
- अपराध से सम्बद्ध सभी विशेषताएं

परिवाद क्या है ?

किन्हीं व्यक्ति या व्यक्तियों (जानकार या अनजान) के विरुद्ध मौखिक या लिखित रूप में मजिस्ट्रेट को किया गया आरोप है ताकि मजिस्ट्रेट उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर सकें। जब पुलिस अधिकारी एफआईआर के आधार पर कार्रवाई नहीं करता है, तब व्यथित व्यक्ति उस मजिस्ट्रेट को परिवाद कर सकता है, जिसे उस अपराध पर संज्ञान लेने का अधिकार है।

परिवाद की विषय वस्तु

- कथित अपराध का विवरण हो।
- अभियुक्त तथा परिवादी का नाम तथा पता हो।
- साक्षियों के नाम तथा पते दर्ज हों।
- आत्मरक्षा का अधिकार क्या है ?

हर व्यक्ति को आईपीसी की धारा 96 से लेकर धारा 106 द्वारा दिए गए अधिकार हैं कि वह अपने अथवा अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के हमले से रक्षा करे।

गिरफ्तारी के कानून

- पुलिस किसी भी व्यक्ति पर अपराध का आरोप होने पर ही उसे गिरफ्तार कर सकती है।
- केवल शिकायत अथवा शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है ।

वारंट क्या है ?

वारंट न्यायालय द्वारा जारी किया गया तथा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित आदेश है। हर वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता है ।

जमानती वारंट क्या है ?

जमानती वारंट न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जारी किया गया वारंट है, जिसमें यह पृष्ठांकित है कि जमानत की शर्तें पूरी करने के बाद उसे जमानत दी जा सकती है। अगर गिरफ्तार व्यक्ति शर्तें पूरी करता है तो इस मामले में पुलिस जमानत देने की हकदार है।

गैरजमानती वारंट क्या है ?

गैरजमानती वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी वारंट है। इस मामले में पुलिस अधिकारी जमानत देने के लिए प्राधिकृत नहीं है। जमानत प्राप्त करने के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को सम्बद्ध न्यायालय में आवेदन करना होगा।

बिना वारंट के गिरफ्तारी

अभियुक्त पर संज्ञेय अभियोग हो या उसके खिलाफ ठोस शिकायत की गई हो या ठोस जानकारी मिली हो या अपराध में उसके शामिल होने का ठोस शक हो, अभियुक्त के पास सेंध लगाने का कोई औजार पकड़ा जाए और वह ऐसे औजार के अपने पास होने का समुचित कारण नहीं बता सके, अभियुक्त के

पास ऐसा सामान हो जिसे चोरी का समझा जाने के कारण हो अथवा जिस व्यक्ति पर चोरी करने या चोरी के माल खरीद–फरोख्त करने का शक करना वाजिब लगे। अभियुक्त घोषित अपराधी हो, अभियुक्त किसी पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा पहुंचाए, अभियुक्त पुलिस/कानूनी हिरासत से फरार हो जाए, अभियुक्त के खिलाफ पक्का संदेह हो कि वह सेना का भगोड़ा है, अभियुक्त छोड़ा गया अपराधी हो, लेकिन उसने फिर कानून तोड़ा हो, अभियुक्त संदेहास्पद चाल–चलन का हो या आदतन अपराध करने वाला हो, अभियुक्त पर असंज्ञेय अभियोग हो और वह अपना नाम–पता नहीं बता रहा हो।

गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट का वारंट

व्यक्ति को किसी भी मामले में गिरफ्तार करने के दौरान उसका अपराध तथा गिरफ्तारी का आधार बताया जाना चाहिए। उसे यह भी बताया जाना चाहिए कि उस अभियोग पर उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है या नहीं। गिरफ्तारी के समय व्यक्ति पुलिस से वकील की मदद लेने की इजाजत मांग सकता है। उसके मित्र, रिश्तेदार भी उसके साथ थाने तक जा सकते हैं। अगर व्यक्ति गिरफ्तारी का प्रतिरोध नहीं कर रहा हो तो गिरफ्तारी के समय पुलिस उससे दुर्व्यवहार नहीं कर सकती है, ना ही मारपीट कर सकती है। अगर वह पुराना अपराधी नहीं है या उसके हथकड़ी नहीं लगाने पर भाग जाने का खतरा नहीं है तो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती है। अगर किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है तो पुलिस का सिपाही उसे छू तक नहीं सकता है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद व्यक्ति को थाने के प्रभारी अथवा मजिस्ट्रेट के पास लाया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए (इसमें गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के पास लाए जाने का समय शामिल नहीं है)। किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, 24 घंटे से ज्यादा समय तक पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति डॉक्टर द्वारा अपने शरीर की चिकित्सा परीक्षण की मांग कर सकता है ।

पुलिस हिरासत

अगर कोई पुलिसकर्मी हिरासत में किसी व्यक्ति को सताता है या यातना देता है तो उस व्यक्ति को पुलिसकर्मी की पहचान कर उसके खिलाफ आपराधिक आरोप दर्ज करने चाहिए। अगर हिरासत में महिला के साथ बलात्कार तथा यौन संबंधित अन्य दुर्व्यवहार होता है तो उसे तुरंत डॉक्टरी जांच की मांग करनी चाहिए तथा मजिस्ट्रेट से शिकायत करनी चाहिए। किसी महिला को केवल महिलाओं वाले लॉक अप में रखा जाना चाहिए। अगर किसी थाने में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो हिरासत में ली गई महिला मांग कर सकती है कि उसे ऐसे थाने में भेजा जाए जहां महिलाओं के लिए लॉक अप हो।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश

गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने की सूचना अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति को देने का अधिकार है। गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाने ले जाते समय उसे सूचना देने के अधिकार की अवश्य जानकारी देनी चाहिए। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति ने अपनी गिरफ्तारी की जानकारी दी है, उसका नाम पुलिस डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए।

जमानत का अधिकार

जमानत क्या है ?

जमानत गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ शर्तों पर पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त करने की अनुमति है।

अगर अपराध गैर–जमानती नहीं है तो पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना ही होगा। अगर पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट पर्याप्त समझे तो व्यक्ति को निजी मुचलके या बंध–पत्र पर भी छोड़ा जा सकता है। जमानत और मुचलके पर रिहा व्यक्ति को जब भी अफसर या अदालत तलब करे, हाजिर होना होगा।

प्रतिभु (जमानतदार) क्या होते हैं ? – प्रतिभु वे व्यक्ति होते हैं जो मुक्त किए गए व्यक्ति की आवश्यकतानुसार थाने या न्यायालय में उपस्थित प्रत्याभूत करते हैं। अगर मुक्त किया गया व्यक्ति पुलिस थाने या न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसे वह रकम अदा करने के लिए समर्थ होना चाहिए, जिसके लिए वह प्रतिभु है।

पुलिस की जांच

अपराध की जांच के दौरान पुलिस आपसे पूछताछ करे तो आपको अपनी जानकारी की बातें सही–सही बताते हुए पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए। संभव हो तो आपको अपराध का सुराग भी पुलिस को देना चाहिए और जुबानी पूछताछ का उचित जवाब देना चाहिए। आपके लिए न तो किसी लिखित बयान पर दस्तखत करना जरुरी है, न ही आपको वे सब बातें लिखकर देनी होती हैं जो आपने जुबानी बताई हैं।

पुलिस पूछताछ

अभियुक्त को पूछताछ के दौरान पुलिस से सहयोग करना चाहिए। अभियुक्त को सावधान भी रहना चाहिए कि पुलिस उसे झूठे मामले में न फंसाए। अभियुक्त को किसी कागज पर बिना पढ़े अथवा उसमें

लिखी बातों से सहमत हुए बिना हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। किसी महिला और 15 साल से छोटे पुरुष को पूछताछ के लिए घर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। उनसे घर पर ही पूछताछ की जा सकती है। व्यक्ति मजिस्ट्रेट से अनुरोध कर सकता है कि उससे पूछताछ का उचित वक्त दिया जाए। पूछताछ के दौरान व्यक्ति ऐसे किसी सवाल का जवाब देने से मना कर सकता है, जिससे उसे लगे कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला बनाया जा सकता है। व्यक्ति पूछताछ के दौरान कानूनी या अपने किसी मित्र की सहायता की मांग कर सकता है और आम तौर पर ऐसी सहायता की मांग पुलिस मान लेती है।

तलाशी के लिए वारंट

अदालत या मजिस्ट्रेट के तलाशी वारंट के बिना पुलिस किसी के घर की तलाशी नहीं ले सकती है। आमतौर पर चोरी के सामान, फर्जी दस्तावेज, जाली मुहर, जाली करेंसी नोट, अश्लील सामग्री तथा जब्तशुदा साहित्य की बरामदगी के लिए तलाशी ली जाती है। पुलिस अधिकारी को तलाशी के स्थान पर मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की तलाशी लेने देनी चाहिए। तलाशी और माल की बरामदगी इलाके के दो निष्पक्ष तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में की जानी चाहिए। पुलिस को जब्त सामान का ब्यौरा देते हुए पंचनामा तैयार करना चाहिए। इस पर दो स्वतंत्र गवाहों के भी हस्ताक्षर होने चाहिए और इसकी एक प्रति उस व्यक्ति को भी दी जानी चाहिए जिसके घर/इमारत की तलाशी ली गई है। तलाशी लेने वाले अधिकारी की भी, तलाशी शुरु करने से पहले तलाशी ली जा सकती है। कोई पुरुष किसी महिला की शारीरिक तलाशी नहीं ले सकता है, लेकिन वह महिला के घर या कारोबार के स्थान की तलाशी ले सकता है।

न्यायालय का समन

समन न्यायालय द्वारा जारी लिखित आदेश है जिसके द्वारा न्यायालय किसी विवाद या आरोप से संबद्ध प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थिति होने के लिए बाध्य कर सकता है। अगर व्यक्ति समन स्वीकार करने से मना करे या न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित हो तो न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है।

पुलिस गिरफ्तारी से सम्बन्धित अधिकार क्या हैं ?

गिरफ्तारी से सम्बंधित प्रावधानों का उल्लेख सी.आर.पी.सी में मिलता है। भाग–5 धारा–41 से धारा–61 ए उन तमाम प्रक्रियाओं व कार्यों के बारे में उपबंध करता है जो प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों व कर्तव्यों से सम्बन्धित है। गिरफ्तारी हमेशा कोई अपराध करने या किसी अपराध करने से विरत रहने के लिए की जाती है।

समाज में विधि का शासन हो तथा कानून व्यवस्था मौजूद रहे इसी दिशा में पुलिस प्रशासन कार्यरत रहता है। तथा वह उन व्यक्तियों को उन दशाओं में गिरफ्तार कर सकता है जब वह किसी कानून का उल्लंघन करता है जो कि कानून की नजर में अपराध है।

पुलिस कब बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है ?

पुलिस को जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई संज्ञेय अपराध करने के बारे में या तो कोई विश्वसनीय शिकायत मिली हो या कोई पुख्ता जानकारी मिली हो या कोई प्रबल संशय हो यदि कोई व्यक्ति उद्घोषित अपराधी रह चुका है जब किसी व्यक्ति के पास से चोरी की हुई संपत्ति बरामद की जाती है और वह व्यक्ति चोरी के अपराध में लिप्त पाया जाता है या उस संपत्ति के चोरी होने के अपराध में लिप्त होने का युक्तियुक्त संशय है। जब कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी को अपने कर्तव्य करने से रोकता है या किसी विधिपूर्ण अभिरक्षा से भागता है या भागने का प्रयास करता है। जब कोई व्यक्ति किसी सैन्य बल से भाग हुआ युक्तियुक्त रूप से पाया जाता है।

किसी भी महिला को जब तक की अति–आवश्यक न हो, सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस द्वारा की जानी आवश्यक है जब तक कि कोई ऐसी स्थिति मौजूद न हो जहां पर ऐसा न किया जा सके।

गिरफ्तारी करने की प्रक्रिया एवं पुलिस के कर्तव्य

गिरफ्तारी के समय सम्बन्धित पुलिस अधिकारी अपने नाम की स्पष्ट, दृश्य व साफ पहचान (नेमप्लेट) धारण करेगा। पुलिस गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का मेमोरेंडम (एक सूचना पत्र) तैयार करेगी जो कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और स्वयं गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। जब तक की मेमोरेंडम तैयार नहीं हो जाता गिरफ्तार व्यक्ति के किसी परिवार के सदस्य को गिरफ्तारी के बारे में सूचित किए जाने सम्बन्धी उसके अधिकार के बारे में गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित किया जाएगा।

गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार

कानूनी मदद पाना – पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार

जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तातर किया जाता है तो उसके पास यह अधिकार है कि वह पुलिस पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिल सकता है, परन्तु पूरी पूछताछ के दौरान नहीं।

गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार व जमानत के बारे में सूचित किया जाना

पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को उन सभी आधारों को बताया जाएगा जिसके कारण उसे गिरफ्तार किया गया है तथा यदि जमानतीय अपराध में गिरफ्तार किया गया है तो उसे जमानत पर छोड़े जाने के बारे में सूचित किया जाएगा।

गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सीय परिक्षण किया जाना

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का किसी मेडिकल अफसर द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना तथा उसकी रिपोर्ट को उसे या उसके किसी नामित व्यक्ति को दिया जाना जरूरी है।

किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से नहीं की जा सकती तथा उसके मानवाधिकारों का उल्लंतघन नहीं किया जा सकता है। यदि पुलिस के द्वारा ऐसा किया जाता है तो इसके विरुद्ध न्यायालय में रिट दायर की जानी चाहिए और मानवाधिकार आयोग में शिकायत की जानी चाहिए।

पुलिस में शिकायत कैसे करें ?

पुलिस स्टेशन जाने से हर कोई बचता है, लेकिन कुछ गुम या चोरी हो जाने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ता है। लोगों को आमतौर पर पुलिसिया कार्रवाई के तौर–तरीकों की जानकारी नहीं होती। यहां तक कि उन्हें एफआईआर और एनसीआर के बीच का फर्क भी नहीं पता होता है। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने से जुड़ी मूल जानकारी निम्न हैं–

कब होती है एफआईआर ?

एफआईआर संज्ञेय अपराधों में ही दर्ज होती है। अगर अपराध संज्ञेय नहीं है तो उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। इसे एक उदाहरण से समझिए। पिछले दिनों अजय खन्ना के गाल पर अमित ने बीच सड़क पर थप्पड़ मार दिया। लगे हाथ बदला लेने के बजाय कानूनी कार्रवाई में यकीन रखने वाले अजय खन्ना सीधे थाने जा पहुंचे। डयूटी अफसर ने थप्पड़ मारने की एफआईआर करने से साफ इनकार कर दिया। अजय ने जमकर बहस की, लेकिन पुलिसवाले ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की। अजय ने हिम्मत नहीं हारी और पहुंच गए टीआई के पास।

अनुभवी टीआई ने ठंडे दिमाग से अजय की बात सुनी। टीआई ने बताया कि थप्पड़ मारना आईपीसी का धारा 323 के तहत आता है, जो संज्ञेय अपराध नहीं है इसलिए इसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। हां, इसके लिए अदालत में शिकायती प्रकरण दायर किया जा सकता है। टीआई ने अजय को यह भी बताया कि अगर वह तहरीर में यह लिख दें कि अमित ने उसे सड़क पर जबरन रोका भी था तो उसकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि धारा 341 के तहत 'रॉन्गफुल रेस्ट्रेन्ट' यानी किसी को जबरन रोकना संज्ञेय अपराध है।

कैसे होती है एफआईआर ?

एफआईआर दर्ज कराने के तीन तरीके हैं –

- पीड़ित सीधे थाने आकर अपने लिखित या मौखिक बयान पर एफआईआर दर्ज करा सकता है।
- पीसीआर कॉल से मिली खबर की तफ्तीश कर एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
- वारदात की खबर मिलने पर थाने का ड्यूटी अफसर एएसआई को मौके पर भेजता है। एएसआई चश्मदीदों के बयान दर्जकर रुक्का (एफआईआर लिखने के लिए तहरीर) लिखता है। इस रुक्के के आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। यह तरीका सिर्फ जघन्य वारदात के दौरान ही अपनाया जाता है।

क्यों लगती है देर ?

पुलिस ज्यादातर मामलों में शिकायत मिलते ही एफआईआर दर्ज नहीं करती। वारदात की प्रमाणिकता जानने के लिए कई बार तहरीर की जांच की जाती है। बाइक, कार या कोई अन्य सामान चोरी होने पर पुलिस के तुरंत एफआईआर दर्ज न करने की एक वजह और भी है। पुलिस कुछ दिन तक यह इंतजार करती रहती है कि चोरी गया सामान पीड़ित को किसी तरह मिल जाए। दरअसल, कोई भी टीआई नहीं चाहता कि उसके थाने में एफआईआर की संख्या में इजाफा हो ।

सभी थानों में स्टेशनरी की भारी किल्लत रहती है। पुलिसकर्मी एफआईआर दर्ज न करने की एक वजह इसे भी बताते है। हर एफआईआर की कॉपी थाने से एसीपी, अडिशनल डीसीपी–1, अडिशनल डीसीपी–2, डिस्ट्रिक्ट डीसीपी और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। जघन्य अपराधों की एफआईआर की कॉपी रेंज के जॉइंट कमिश्नर को भी भेजी जाती है।

कहां दर्ज होगा केस –

1. केस उस इलाके में दर्ज होगा, जहां सामान चोरी की जानकारी मिली हो, भले ही चोरी कहीं भी हुई हो।
2. वारदात की खबर किसी भी थाने में दी जा सकती है, लेकिन उसी थाने में दर्ज होगी जिस इलाके में जुर्म हुआ। अगर पीड़ित ने किसी अन्य थाने में खबर दी, तो उस थाने की पुलिस शिकायत लेकर संबंधित थाने को रेफर कर देगी।
3. इसे एक उदाहरण से देखते है। रायसेन में रहने वाले व्यापारी राहुल वाधवा कार में आभूषण का बैग लेकर भोपाल में अपने शोरूम के लिए चले। रास्ते में एमपी नगर में उन्होंने कार से उतरकर शॉपिंग की। न्यू मार्केट आकर उन्होंने देखा कि उनका बैग लापता था। उन्होंने एमपी

नगर वापस जाकर चोरी का केस दर्ज कराना चाहा तो पुलिस ने उन्हें बताया कि केस वहां दर्ज होगा, जहां उन्हें चोरी होने का पता चला था। ऐसे में राहुल ने केस न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया।

अगर पुलिस एफआईआर न लिखे!

1. संज्ञेय अपराध होने पर भी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो पीड़ित को वरिष्ठतम अधिकारियों से मिलना चाहिए।

2. अगर तब भी रिपोर्ट दर्ज न हो, तो सीआरपीसी (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) के सेक्शन 156(3) के तहत पीड़ित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दे सकता है। इस मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को यह शक्ति है कि वह एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को आदेश दे सकती है।

3. सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि एफआईआर दर्ज न होने पर धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में अपील करने के बजाय मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में जाना चाहिए। इसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने सेक्शन 156(3) के तहत एफआईआर कराई। हालांकि इस एफआईआर की जांच भी वही पुलिस करती है, जो इसे दर्ज ही नहीं कर रही थी। पुलिस के मुताबिक, इस सेक्शन के तहत बहुत सी फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई है।

थाने की सील

कई बार पुलिस शिकायत के आवेदन पर ही थाने की सील लगाकर उसे शिकायतकर्ता को थमा देती है। तमाम लोग इसे ही एफआईआर समझ लेते है। वैसे यहां सील लगाना महत्वहीन नहीं होता। गाड़ी या पहचान--पत्र चोरी हो गया है और आवेदन पर थाने की सील लग गई है तो यह बड़े काम की चीज है। गाड़ी या पहचान--पत्र के गलत इस्तेमाल की सूरत में यह सील ही आपको पुलिस से बचाएगी। सील वाले आवेदन की भी जांव की जाती है। एसएचओ इसे जांच अधिकारी को भेजते हैं।

क्या है डीडी एंट्री ?

डीडी एंट्री (डेली डायरी एंट्री) यानी रोजनामचा थाने का अहम दस्तावेज होता है। इसमें थाने में होने वाली हर कानूनी घटना दर्ज की जाती है। शिकायतकर्ता की तहरीर, एफआईआर, उसका नंबर, दबिश, गिरफ्तारी, जब्ती, बरामदगी, पुलिसवालों की आमद, रवानगी, मेडिकल लीव, मालखाने में जमा सामान, मुलजिम की तलाशी आदि इसमें दर्ज की जाती है। डीडी एंट्री हेड कॉन्स्टेबल (हवलदार) से इंस्पेक्टर स्तर तक के पुलिसकर्मी लिखते हैं।

कब चाहिए पुलिस दस्तावेज ?

1. मोबाइल चोरी या गुम होने पर सिम कार्ड ब्लॉक करने के लिए पुलिस दस्तादवेज की जरूरत नहीं होती ।

2. क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड चोरी या गुम होने पर कार्ड ब्लॉक करने के लिए पुलिस दस्तावेज की जरूरत नहीं होती।

3. ड्राइविंग लाइसेंस चोरी या गुम होने पर पुलिस एफआईआर की जरूरत होती है।

4. ऑफिस का आईकार्ड चोरी या गुम होने पर पुलिस एफआईआर की जरूरत होती है।

कैदियों के अधिकार

सूचना प्राप्त करने का अधिकार

- कैदियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है ।

कैदियों का मौलिक अधिकार

1. कैदियों को अनुच्छेद 14,19 और 21 में दिए गये मौलिक अधिकार प्राप्त करने के अधिकार हैं।

2. अनुच्छेद 14– विधि के समक्ष समता– राज्य , भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

3. अनुच्छेद 19–(क) वाक–स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।

4. अनुच्छेद 21– प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण–किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

चिकित्सा सुविधा का अधिकार

1. कैदियों को चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार है।

2. अगर इसकी उपेक्षा की जाती है तो सरकार द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा मानी जाएगी।

3. केस के जल्दी निपटारे का अधिकार।

4. अनुच्छेद 21 के तहत कैदियों को केस के जल्दी निपटारे का अधिकार है।

समय से अधिक बंदी नहीं

1. न्यायालयों में बिना किसी परिसीमा के निर्णय और देर से विचार मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण है। प्रकरण का जल्दी से निपटारा होना चाहिए।

2. अगर कैदी न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा पहले ही जेल में काट चुका हो तो उसे छोड़ दिया जाना चाहिए।

विचाराधीन कैदी को जमानत

1. जिन कैदियों पर मुकदमा अभी विचाराधीन है वो दोष सिद्ध होने से पहले जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2. अगर न्यायालय को यह संतुष्टि हो जाती है कि अभियोगी पर पारिवारिक जिम्मेदारी है और यह संतुष्टि हो कि वह इन सामाजिक बंधनों के कारण पलायन नहीं करेगा तब उसे एक बंध पत्र (बॉण्डम) पर रिहा किया जा सकता है ।

कैदियों को मतदान का अधिकार

1) विचाराधीन कैदियों को अपना वोट डालने का अधिकार है।

2) कैदियों को वेतन अथवा मजदूरी

3) कैदियों को जेल में उनके किए गए कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए।

4) मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से गुलामी नहीं करवाई जा सकती है ।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा

1. मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 23 (1) में कहा गया है कि हर व्यक्ति को काम करने का, काम चुनने का, कार्य करने के स्थान पर न्यायपूर्वक और अनुकूल परिस्थितियों के साथ ही बेरोजगारी से सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए।

2. मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 23(3) में कहा गया है कि सही वेतन जो स्वयं और परिवार के गरिमामय अस्तित्व को आश्वस्त करता हो ।

3. मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 10(1) में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को, जिनसे उनकी स्वतंत्रता का अधिकार ले लिया गया हो, उनके आदर और मानवता की भावना से पूर्ण व्यवहार करना चाहिए।

वकील से परामर्श का अधिकार

1. कैदी को अधिकार है कि वह अपने फैसले से कानूनी सलाहकार से भेंट कर सके। ऐसा ना होने पर संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होगा ।

2. सीआरपीसी की धारा 161(2) और आपीसी की धारा 179 के तहत अभियुक्त परीक्षण अधवा जांच के दौरान अपने कानूनी सलाहकार अथवा वकील को बुला सकता है ।

खुद के विरुद्ध साक्ष्य के लिए बाध्यता नहीं

1. संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी भी अपराध में अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है ।

2. इसका अर्थ है कि न्यायिक प्रक्रिया से अधिक कहने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता है, फिर चाहे वह साक्ष्य के लिए हो या किसी भी सूचना देने के लिए हो।

निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार

ऐसा अभियुक्त जो किसी कानूनी सलाहकार को नियुक्त करने में सक्षम ना हो, गरीब हो या अन्य कोई परिस्थिति हो, निशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकारी है।

1. कोर्ट को निर्देश हैं कि वो किसी भी व्यक्ति को कारावास की सजा देते समय उसे फैसले की निशुल्क कॉपी दे।

2. यह कॉपी जेल अधिकारी कैदी को तुरंत दे और उससे लिखित में उस कॉपी की प्राप्ति की सूचना ले।

3. अगर कैदी इस फैसले की अपील अथवा रिवीजन फाइल करना चाहता हो तो जेल प्रशासन उस कैदी के लिए सारी सुविधाएं प्रदान करे।

4. वकील की नियुक्ति में असमर्थ कैदी के लिए कोर्ट किसी भी सक्षम सलाहकार को नियुक्त कर सकता है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब अभियुक्त को इस पर कोई आपत्ति ना हो ।

5. नियुक्त वकील का खर्च राज्य सरकार उठाएगी , जिसने कैदी को अभियुक्त ठहराया है।

6. अभियुक्त को निशुल्क कानूनी सहायता मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के दौरान से ही प्रदान की जानी चाहिए ।

विचाराधीन कैदियों को सुविधाएं

1. अपने मित्रों तथा परिजनों से पत्र व्यवहार का अधिकार।
2. मित्रों और परिजनों से मिलने का अधिकार।
3. अपने वकील या उसके एजेंट से बातचीत या सलाह का अधिकार ।
4. रेडियो, संगीत या टेलीविजन की सुविधा का अधिकार।
5. अपने घर में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में भाग लेने का अधिकार।
6. व्यक्तित्व विकास के लिए सांस्कृतिक शिक्षा पाने का अधिकार।

कैदियों की शिकायत निवारण के उपाय

1. जेलों में लगाए गए शिकायत बॉक्सों में अपनी शिकायतों को लिखकर डालना।
2. सेशन जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज शिकायत बॉक्स के शिकायती पत्रों को रिकॉर्ड में रखेंगे और शिकायतों को दूर करेंगे।
3. जिला अथवा सेशन जज शिकायत बॉक्स में डाली गई शिकायतों के संबंध में एक शिकायत रजिस्टर भी रखेंगे।
4. जिला अथवा सेशन जज अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली जेलों का निरीक्षण करेंगे और कैदियों को यह भरपूर मौका देंगे कि उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं।
5. सेशन जज अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली जेलों का निरीक्षण करने के लिए वकीलों को भी नियुक्त कर सकते हैं और वकील निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट को संबंधित कोर्ट को देगा।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम : एक पृष्ठभूमि

भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार या उत्पीडन को रोकने के लिए भारतीय संसद द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम (The Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities½ Act-1989) पारित किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 को 24 मई 1995 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। इसका प्रथम प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में 29 जून 1995 को किया गया। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करने और उसके सुदृढ़ीकरण या उसके सम्बंधित विषयों का उपबंध करने वाले इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति–जनजाति अधिनियम 1995 है।

यह अधिनियम अजा–जजा वर्ग के सम्मान, स्वाभिमान, उत्थान एवं उनके हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में किए गए विभिन्न प्रावधानों के अलावा इन जातियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए 16 अगस्त 1989 को लागू किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 पुराने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का ही विस्तार हैं। अधिनियम के अधीन दर्ज मामले को और अधिक प्रभावी बनाने तथा पीड़ित व्यक्ति को त्वरित न्याय एवं मुआवजा दिलाने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 पारित किया गया हैं वास्तव में अछूत के रूप में दलित वर्ग का अस्तित्व समाज रचना की चरम विकृति का प्रतीक है। यही कारण है कि भारत सरकार ने दलितों पर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को रोकने के लिए भारतीय संविधान की अनुच्छेद 17 के आलोक में यह विधान पारित किया। इस अधिनियम में छुआछूत सम्बन्धी अपराधों के विरूद्ध दण्ड में वृद्धि कर दलितों पर अत्याचार की रोकथाम के प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनिमय के अन्तर्गत आने वाले अपराध संज्ञेय, गैरजमानती और असुलहनीय होते हैं।

यह अधिनियम उस व्यक्ति पर लागू होता हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हैं और इस वर्ग के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करता है। अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार

जो कोई भी यदि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही हैं और इस वर्ग के सदस्यों पर निम्नलिखित अत्याचार का अपराध करता है तो कानून वह दण्डनीय अपराध माना जाएगा –

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जबरन अखाद्य या घृणाजनक (मल–मूत्र इत्यादि) पदार्थ खिलाना या पिलाना।

2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को शारीरिक चोट पहुंचाना या उनके घर के आस–पास या परिवार में उन्हें अपमानित करने या क्षुब्ध करने की नीयत से कूड़ा–करकट, मल या मृत पशु फेंक देना।

3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारना या उसे नग्न करके या उसके चेहरे पर रंग पोत कर सार्वजनिक रूप में घुमाना या इसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करना जो मानव सम्मान के विरूद्ध हो।

4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को आवंटित भूमि पर गैर कानूनी–ढंग से खेती करना, खेत जोत लेना या उस भूमि पर कब्जा कर लेना।

5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गैर कानूनी–ढंग से उनकी भूमि से बेदखल कर देना (कब्जा कर लेना) या उनके अधिकार क्षेत्र की सम्पत्ति के उपभोग में हस्तक्षेप करना।

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य को भीख मांगने के लिए मजबूर करना या उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में रहने को विवश करना या फुसलाना।

7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य को वोट (मतदान) नहीं देने देना या किसी खास उम्मीदवार को मतदान के लिए मजबूर करना।

8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरूद्ध झूठा, परेशान करने की नीयत से पूर्ण आपराधिक या अन्य कानूनी आरोप लगा कर फंसाना या कार्रवाई करना।

9. किसी लोक सेवक (सरकारी कर्मचारी/अधिकारी) को कोई झूठी या तुच्छ सूचना अथवा जानकारी देना और उसके विरूद्ध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति पहुंचाने या क्षुब्ध करने के लिए ऐसे लोक सेवक द्वारा उसकी विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग करना।

10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जानबूझकर सार्वजनिक रूप से जलील करना, अपमानित करना या डराना।

11. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की किसी महिला सदस्य का अनादार करना या उन्हें अपमानित करने की नीयत से शील भंग करने के लिए बल का प्रयोग करना।

12. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की किसी महिला का उसकी इच्छा के विरूद्ध या बलपूर्वक यौन शोषण करना।

13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जलाशय या जल स्त्रोतों को गंदा कर देना अथवा अनुपयोगी बना देना।

14. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोकना, रूढ़ीजन्य अधिकारों से वंचित करना या ऐसे स्थान पर जाने से रोकना जहां वह जा सकता हैं।

15. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपना मकान अथवा निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना या करवाना।

दंड का प्रावधान

ऊपर वर्णित अत्याचार के अपराधों के लिए दोषी व्यक्ति को छह माह से पांच साल तक की सजा, अर्थदण्ड (जुर्माने) का प्रावधान हैं। क्रूरतापूर्ण हत्या के अपराध के लिए मृत्युदण्ड की सजा हैं। अधिनियम की धारा 3 (2) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हैं और –

1. यदि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के खिलाफ झूठा गवाही देता है या साक्ष्यई गढ़ता हैं जिसका आशय किसी ऐसे अपराध में फंसाना हैं जिसकी सजा जुर्माने सहित मृत्युदंड या आजीवन कारावास है। इस झूठे गढ़े हुए मामले में गवाही के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य को फांसी की सजा दी जाती हैं तो ऐसी झूठी गवाही देने वाला मृत्युदंड का भागी होगा।

2. यदि वह मिथ्या साक्ष्य के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध करवाता हैं जिसमें सजा सात वर्ष या उससे अधिक है तो वह जुर्माना सहित सात वर्ष की सजा से दण्डित होगा।

3. आग अथवा किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा किसी ऐसे मकान को नष्ट करता हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता हैं तो दोषी व्यक्ति आजीवन कारावास के साथ जुर्माने से दण्डित होगा।

4. लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह एक वर्ष से लेकर इस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डित होगा। अधिनियम की धारा 4 (कर्तव्यों की उपेक्षा के दंड) के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही हैं, अगर वह जानबूझ कर इस अधिनियम के पालन करने में लापरवाही करता हैं तो वह दण्ड का भागी होता। उसे छह माह से एक साल तक की सजा दी जा सकती हैं।

अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान

धारा –14 – (विशेष न्यायालय की व्यवस्था) के अन्तर्गत इस अधिनियम के तहत चल रहे प्रकरणों में तेजी से सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ऐसा करने से फैसले में विलम्ब नहीं होता हैं और पीड़ित को जल्द न्याय मिल जाता हैं।

धारा –15 – के अनुसार इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय में चल रहे मामले के तेजी से संचालन के लिए एक अनुभवी लोक अभियोजक (सरकारी वकील) नियुक्त करने का प्रावधान हैं।

धारा –17 – के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन मामले से सम्बन्धित जांच पड़ताल उप पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी ही कर सकेगा.

धारा –18 – के अंतर्गत इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाले अभियुक्तों की जमानत नहीं होगी।

धारा : 21 –

(1) इस अधिनियम के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार आवश्यक उपाय करेंगी।

(2) इसके अनुसार –

1. पीड़ित व्यक्ति के लिए पर्याप्त सुविधा एवं कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई हैं ।
2. इस अधिनियम के अधीन अपराध के जांच पड़ताल और ट्रायल (विचारण) के दौरान गवाहों एवं पीड़ित व्यक्ति के यात्रा भत्ता और भरण–पोषण के व्यय की व्यवस्था की गई है।
3. सरकार पीड़ित व्यक्ति के लिए आर्थिक सहायता एवं सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था करेगी।

4. ऐसे क्षेत्र की पहचान करना तथा उसके लिए समुचित उपाय करना जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्यधिक अत्याचार होते हैं।

अधिनियम की धारा 21 (3) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिनियम से सम्बान्धित उठाए गए कदमों एवं किए गए उपायों में समन्यव के लिए केन्द्र सरकार आवश्यकतानुसार सहायता करेगी।

धारा 5 (1) (थाना में थाना प्रभारी को सूचना संबंधी)– इसके अनुसार अधिनियम के तहत किए गए अपराध के लिए प्रत्येक सूचना थाना प्रभारी को दिए जाने का प्रावधान हैं। यदि सूचना मौखिक रूप से दी जाती हैं तो थाना प्रभारी उसे लिखित में दर्ज करेंगे। लिखित बयान को पढ़कर सुनाएंगे तथा उस पर पीड़ित व्यक्ति का हस्ताक्षर भी लेंगे। थाना प्रभारी मामले को थाने के रिकार्ड में पंजीकृत कर लेंगे। (2) उपनियम (1) के तहत दर्ज एफआईआर की एक प्रति पीड़ित को निःशुल्क दिया जाएगा। (3) अगर थाना प्रभारी एफआईआर लेने से इन्कार करते हैं तो पीड़ित व्यक्ति इसे रजिस्ट्री द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेज सकेगा। पुलिस अधीक्षक स्वयं अथवा डी.एस.पी. द्वारा मामले की जांच पड़ताल करवा कर थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देंगे।

धारा–6 के अनुसार डी.एस.पी. स्तर का पुलिस अधिकारी अत्याचार के अपराध की घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल का निरीक्षण करेगा तथा अत्याचार की गंभीरता और सम्पत्ति की क्षति से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा।

धारा–7 (1) – के अनुसार इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध की जांच डी.एस.पी. स्तर का पुलिस अधिकारी करेगा। जांच हेतु डी.एस.पी. की नियुक्ति राज्य सरकारध्डी.जी.पी. अथवा एस.पी. करेगा। नियुक्ति के समय पुलिस अधिकारी का अनुभव, योग्यता तथा न्याय के प्रति संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाएगा। जांच अधिकारी (डी.एस.पी.) शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर घटना की जांच कर तीस दिन के भीतर जांच रिपोर्ट एस.पी.को सौंपेगा। इस रिपोर्ट को एस.पी. तत्काल राज्य के डी.जी.पी. को अग्रेषित करेगा।

धारा–11 (1) में यह प्रावधान किया गया हैं कि मामले की जांच पड़ताल, ट्रायल (विचारण) एवं सुनवाई के समय पीड़ित व्यक्ति उसके गवाहों तथा परिवार के सदस्यों को जांच स्थल अथवा न्यायालय जाने आने का खर्च दिया जाएगा। (2) जिला मजिस्ट्रेट एस.डी.एम. या कार्यपालक दंडाधिकारी अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति और उसके गवाहों के लिए न्यायालय जाने अथवा जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए यातायात की व्यवस्था करेगा अथवा इसका लागत खर्च भुगतान करने की व्यवस्था करेगा।

धारा–12 (1) में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट और एस.पी. अत्याचार की घटना स्थल का दौरा करेंगे तथा अत्याचार की घटना का पूर्ण ब्यौरा भी तैयार करेंगे। (3) एसपी घटना के मुआवजा देने के बाद पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे तथा आवश्यकतानुसार उस क्षेत्र में पुलिस बल की नियुक्ति करेंगे। (4) के अनुसार डी.एम./ एस.डी.एम. पीड़ित व्यक्ति तथा उसके परिवार के लिए तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराएंगे साथ ही उचित मानवोचित सुविधा प्रदान करवाएंगे।

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति समुदाय को सशक्त बनाने तथा उन्हें देश की मुख्यधारा से लाने के लिए स्वतंत्रता के बाद से ही सतत प्रयास किए जा रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए एक ऐसे स्वतंत्र संगठन की आवश्यकता महसूस की गई जो इस वर्ग को केन्द्र में रखकर विभिन्न विकास कार्यक्रमों, कानूनी प्रावधानों आदि की सतत रूप से समीक्षा करें और साथ ही साथ उनकी कमियों की पहचान करते हुए उनमें सुधार की अनुशंसाएं प्रस्तुत करने हेतु प्रतिबद्ध हो। जो यह भी देखे कि कहीं आदिवासियों के अधिकारों का हनन न हो। इसी उद्देश्य से शासन ने मप्र राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत 14 मार्च 1996 को अधिसूचना जारी कर चार सदस्यीय मप्र राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया है। इसके तीन अशासकीय सदस्यों में से एक सदस्य अध्यक्ष होता है। आयुक्त, आदिवासी विकास को पदेन शासकीय सदस्य बनाया गया है।

इस अधिनियम संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 है।

इसका विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य है।

आयोग का गठन

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 3 के अंतर्गत किया गया है।

1. राज्य सरकार एक आयोग का गठन करेगी जो मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौपें गए कार्यों का पालन करेगा।
2. आयोग में निम्न लिखित सदस्य होंगे: –
    1. तीन सदस्य जो अनुसूचित जनजातियों से सम्बंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों जिनमें से एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इन तीन में से कम से कम दो सदस्य अनुसूचित जनजातियों में से होंगे।
    2. आयुक्त, जनजाति विकास मध्यप्रदेश शासन।

आयोग के कार्य

1. अनुसूचित जाति के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए हित प्रहरी आयोग के रूप में कार्य करेगा।

2. किन्ही विशिष्ट जातियों, मूलवंशों या जनजातियों या ऐसी जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों को संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश,1950 में सम्मलित करने के लिए कदम उठाने के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा करना।

3. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथासमय क्रियान्वयन की निगरानी करना तथा ऐसे कार्यक्रमों के लिए जवाबदेह राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के सम्बनन्धस में सुधार के सुझाव देना।

4. लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के संबंध में सलाह देना।

5. राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों का पालन करना जाए।

आयोग के कार्य तथा शक्तियां

आयोग का यह कार्य होगा कि वह :

1. अनुसूचित जाति के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए हित प्रहरी के रूप में कार्य करेगा।

2. किन्ही विशिष्ट जातियों, मूलवंशों या जनजातियों या ऐसी जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों को संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश,1950 में सम्मिलित करने के लिए कदम उठाने के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा करना।

3. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथासमय क्रियान्वयन की निगरानी करना तथा ऐसे कार्यक्रमों के लिए जवाबदेह राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के सम्बतन्ध में सुधार के लिए सुझाव देना। लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के संबंध में सलाह देना।

4. राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों का पालन करना जाए।

5. (2) आयोग की सलाह साधारणतरू राज्य सरकार पर बाध्य कारी होगी फिर भी यदि सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती है, वहां ऐसा न करने के कारण बताएगी।

आयोग की शक्तियां

आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के बाबद किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्तं होगीं अर्थात् :

1) राज्य के किसी भी भाग में से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना

2) किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना

3) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना

4) किसी न्यायलय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा करना

5) साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना और

6) कोई अन्य विषय जो उसकी जानकारी में लाया जाएय

नियम बनाने की शक्ति

1. राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी :

2. विशिष्टता तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् : –

   (क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों तथा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा अन्य सेवा सम्बन्धी् अन्य निबंधन तथा शर्तें

   (ख) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन वह प्रारूप जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा

   (ग) धारा 13 के अधीन वह प्रारूप जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी

   (घ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए

3. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात यथासंभव शीघ्र विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

1. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

2. इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

मध्यप्रदेश अनुसुचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1983 (क्रमांक 31 सन् 1983) के होते हुई भी अनुसूचित जनजातियों के सम्बिन्धथ में उक्त निरस्त अधिनियम के अधीन गठित आयोग द्वारा की गई किसी भी बात या कार्यवाई या उसकी सिफारिश के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा की गई किसी कार्रवाई के सम्बकन्ध में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई है।



मध्य प्रदेश-गान

सुख का दाता सब का साथी शुभ का यह संदेश है,
माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है।

विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है,
यहां ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है।
उर्वर भूमि, सघन वन, रत्न, सम्पदा जहां अशेष है,
स्वर-सौरभ-सुषमा से मंडित मेरा मध्यप्रदेश है।

चंबल की कल-कल से गुंजित कथा तान, बलिदान की,
खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की।
भीमबैठका आदिकला का पत्थर पर अभिषेक है,
अमृत कुंड अमरकंटक में, ऐसा मध्यप्रदेश है।

क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहां,
महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहां,
कविता, न्याय, वीरता, गायन, सब कुछ यहां विशेष है,
हृदय देश का है यह, मै इसका, मेरा मध्यप्रदेश है।

सुख का दाता सब का साथी शुभ का यह संदेश है,
माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है।

वन्दे मातरम्

सुजलां, सुफलां, मलयज-शीतलाम्॥
शस्य-श्यामलां, मातरम्। वन्दे मातरम्॥

शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकित-यामिनीम्,
फुल्लकुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्,
सुहासिनीं, सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदां, वरदां, मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

कोटि-कोटिकंठ कलकल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृतखरकरवाले।
अबला केनो मा एतो बले।
बहुबलधारिणीं, नमामि तारिणीम्
रिपुदलवारिणीं मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

तुमि विद्या, तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म
त्वं हि प्राणाः शरीरे।
बाहु ते तुमि मां शक्ति, हृदये तुमि मां भक्ति
तोमारई प्रतिमा गड़ि, मन्दिरे-मन्दिरे मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणीं
कमलां कमलदलविहारिणीं
वाणी विद्यादायिनीं, नमामि त्वां, नमामि कमलाम् अमलां अतुलाम्
सुजलां सुफलां मातरम् .... श्यामलां, सरसां, सुस्मितां, भूषिताम्
धरणीं भरणीं मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

Centre for Community Leadership Development Studies
MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA
Chitrakoot, Satna (M.P.) - 485 334
Phone : 07670 - 265622, E-mail : cmcldpcourse@gmail.com
www.cmcldp.org